www.navpradesh.com

दैनिक **नवप्रदेश** — आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् — प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर ❖❖ 3 | राजधानी 4 | अभिव्यक्ति 5 | आंचलिक 7 | आंचलिक

RNI NO.CHHIN/2012/41806 रायपुर, शनिवार 29 जनवरी 2022, कृष्ण पक्ष द्वादशी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-10 अंक-341 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

//-- सुविचार --//

प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनो कभी धोखा नही देते!

आज बेबाक

जब भी कोई चुनाव आता है तो मुंह फुलाकर बैठने वाले फूफाओं की बाढ़ आ जाती है। राजनीतिक दलों के लिए इन नाराज फूफाओं को मनाना मुश्किल होता है। ये फूफा इस कदर नखरे दिखाते है कि सामने वाले को नानी याद आ जाती है। यूपी सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जिनकी टिकट कटी है वे तो नाराज है लेकिन फूफाओं की कई जमात भी पैदा हो गई है जो संख्या बल की बदौलत राजनीतिक दलों को ब्लेकमेल करने से बाज नहीं आते। सही बात है। वक्त पड़े आका तो गधे को कहना पड़ता है काका।

मुख्यमंत्री भूपेश की अपेक्षाओं को दुर्ग निगम ने बताया धत्ता!

■ सीएम ने शपथ ग्रहण समारोह में कहा था- एक माह में करो आवारा मवेशियों-कुत्तों पर नियंत्रण

दुर्ग/नवप्रदेश। दो साल पहले दुर्ग नगर निगम के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महापौर और उनकी नई परिषद से दो अपेक्षाएं की थी। उन्होंने मंच से कहा था कि निगम की नई परिषद एक माह के भीतर आवारा मवेशियों और कुत्तों को नियंत्रित करे। आज दो साल से ज्यादा वक्त बीत गया, किन्तु न महापौर और न ही उनकी परिषद ने इस दिशा में कोई काम किया। निगम क्षेत्र में 10 हजार से ज्यादा आवारा मवेशी छुट्टे घूम रहे हैं, लेकिन इनकी धरपकड़ का कोई बंदोबस्त नहीं है। गौठानों में करीब 400 मवेशियों को रखा गया हैं, लेकिन जो मवेशी गली-मोहल्लों में घूमकर आम नागरिकों को चोंटिल कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। यहां तक कि नगर निगम के वाहन काऊ कैचर का भी कहीं कोई अता-पता नहीं है। काम कौड़ी का नहीं, फुर्सत घड़ी की नहीं। दुर्ग नगर निगम की

वर्तमान परिषद के लिए यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। नगर निगम में जब कांग्रेस का बहुमत आया और यहां इसी पार्टी का महापौर बनना तय हुआ तो नागरिकों में यह उम्मीद जगी कि अब शहर का उत्तरोत्तर विकास हो पाएगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की ही सत्ता और ■ शेष पृष्ठ 6 पर

कहां है काऊ कैचर?

आवारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए नगर निगम काऊ कैचर वाहन का उपयोग करता रहा है, किन्तु विगत लम्बे समय से इस वाहन का अता-पता नहीं है। नगर निगम के जिम्मेदार लोग यह बताने में भी असमर्थ हैं कि पूर्व में इस काऊ कैचर वाहन के जरिए उठाए जाने वाले मवेशियों को कहां ले जाकर छोड़ा जाता था? हालांकि अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि नगर निगम की धरपकड़ टीम के लोग मवेशी स्वामियों के साथ लेन-देन कर मामला रफा-दफा कर देते थे और रसीद बुक में 25-50 रूपए का अर्थदंड दर्शाते थे। कमोबेश यही स्थिति आवारा कुत्तों को लेकर भी है। शहर की हर गली में दर्जनों की संख्या में आवारा कुत्ते मौजूद हैं जिनके आतंक से क्षेत्र में दहशत ■ शेष पृष्ठ 6 पर

शहर में घूम रहे 10 हजार मवेशी

कुछ समय पहले नगर निगम ने आवारा मवेशियों की गणना करवाई थी। तब यह आंकड़ा सामने आया था कि पूरे निगम क्षेत्र में करीब 10 हजार मवेशी हैं। इन मवेशियों के कान में टैग लगाने पर भी विचार किया गया था, किन्तु कुछेक आवारा मवेशियों के ही कान में टैग लगाया जा सका। तब कहा गया था कि टैग वाले मवेशी फिर शहरों में घूमते दिखे तो उनके स्वामियों पर अर्थदंड लगाया गया था। किसी मवेशी स्वामी पर अर्थदंड लगाया गया हो, इसका कोई आंकड़ा नगर निगम में उपलब्ध नहीं है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के मुताबिक, शहर में 12 हजार से ज्यादा आवारा मवेशी हैं, इनमें से करीब 10 हजार मवेशी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। नगर निगम इन आवारा मवेशियों की धरपकड़ में नाकाम रहा है।

सूर्योदय

उदय : 7.11 प्रात:

अस्त : 6:07 संध्या

जनसंख्या

विश्व : 7,923,326,290

भारत: 1,401,752,433

बाजार

सेंसेक्स : 57,200.23

निफ्टी: 17,101.95

गोल्ड : 49,300 प्रति 10 ग्राम

चांदी : 62,000 प्रति किग्रा

अण्डा दर: 4.49 प्रति नग

प्रदेश का मौसम

स्थान	अधिकतम	न्यूनतम
रायपुर	23.6	11.3
बिलासपुर	22.8	10.8
जगदलपुर	25.6	13.0
अंबिकापुर	20.4	06.8

अवैध रेत उत्खनन पर सीएम सख्त कार्रवाई नहीं तो नपेंगे कलेक्टर-एसपी

रायपुर (नवप्रदेश)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि किसी भी जिले में अवैध रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। किसी भी जिले से अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर और एसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अवैध उत्खनन पर कार्रवाई नही होने पर जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके

विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अवैध उत्खनन रोकने कलेक्टर और एसपी को स्वयं मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रदेश में रेतमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से रेत के उत्खनन और परिवहन को लेकर आ रही खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस सबंध में खनिज विभाग के आला अफसरों को रेत माफियाओं पर सख्ती से लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर और एसपी अपने जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें और सख्ती से कार्रवाई कर रोक लगाएं। उन्होंने कहा है कि राज्य को अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन से राजस्व में नुकसान उठाना पड़ रहा है। ■ शेष पृष्ठ 6 पर

कोनी, लोफंदी अरपा नदी में अवैध उत्खनन पर कार्यवाही

वहीं बिलासपुर जिले के कोनी और लोफंदी गांव में रेत के अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। खनिज विभाग द्वारा मौके पर पहुंच कर कोनी स्थित अरपा नदी में अवैध रेत का उत्खनन करते हुए 1 ट्रैक्टर और 1 पोकलेन मशीन को जप्त किया गया। इसी प्रकार ग्राम लोफंदी में अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करते हुए मौके पर 1 जेसीबी मशीन तथा 2 ट्रैक्टर जप्त किया गया। जप्त किये गये वाहन मालिकों के खिलाफ खनिज नियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

कोरबा व बिलासपुर में एक्शन शुरू

अवैध रेत खनन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सख्ती के महज एक घंटे बाद ही पुलिस एक्शन में आ गई है। कोरबा में पुलिस ने अलग-अलग जगह एक साथ छापा मार अवैध खनन में लगे 10 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इनके साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने टीम बनाकर अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई की है। जब्त किए गए ट्रैक्टरों को खनिज विभाग को सौंपा गया है। पकड़े गए आरोपियों में ग्राम रोकदा, उरगा निवासी कृष्ण कुमार पटेल, पंडरीपानी निवासी राधेलाल, जोगीपाली, उरगा निवासी कन्हैयालाल पटेल, कपाटगुड़ा, इमलीछापर निवासी रवि पटेल और अविनाश केवट शामिल हैं।

पेपर लेस होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा, ऑनलाइन प्रश्नों पर लगी क्लास

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ विधान सभा के विधायकगण अब आगामी बजट सत्र, 2022 के दौरान प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन जमा कर सकेंगे। इसके लिए शुक्रवार को विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में विधायकों एवं उनके निज सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। एनआईसी रायपुर के माध्यम से एक प्रशिक्षण-सत्र का आयोजन किया गया था। इस दौरान विधायकों को आनलाइन प्रश्न जमा करने संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों पर जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो विधायक एवं उनके निज सहायक भौतिक रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे, वे आनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए। आनलाइन प्रश्न जमा करने के लिए एक नए वेब एप्लीकेशन एनआईसी के टेक्नीकल हेड सत्येन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से विधायकों द्वारा सुगमतापूर्वक ऑनलाइन ■ शेष पृष्ठ 6 पर

आज का दिवस

बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी दिवस: गणतंत्र दिवस दिवस का सेलिब्रेशन एक दिन का नहीं बल्कि 4 दिन का होता है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को परेड के अंतर्गत देश की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। और 29 जनवरी को इस दिवस का समापन होता है। जिसे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है। हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यानी सेना की बैरक वापसी का प्रतीक होती है। यह परंपरा समूची दुनिया में होती है। जब सेनाएं युद्ध के दौरान सूर्यास्त के बाद हथियारों को रखकर अपने कैंप में लौटती है, तब एक संगीतमय समारोह होता था।

कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की नातिन की अपार्टमेंट में मिली लाश

बेंगलुरु (ए.)। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या बेंगलुरु के एक निजी अपार्टमेंट में लाश मिली है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, सौंदर्या के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। फांसी के फंदे से झूलते हुए पाए जाने पर सौंदर्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बॉरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल में उनका पोस्टमॉर्टम चल रहा है।

सौंदर्या 30 साल की थीं। वह बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में डॉक्टर थीं। वह माउंट कार्मेल ■ शेष पृष्ठ 6 पर

भारत में जन्मे पादरी इंग्लैंड के चर्च में सबसे कम उम्र के बिशप बने

लंदन। भारत में जन्मे एक पादरी को चर्च ऑफ इंग्लैंड में बिशप के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। रेवरेंड मलयिल लुकोस वर्गीस मुथलली, जिन्हें साजू के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लैंड के चर्च में सबसे कम उम्र के बिशप बने हैं। 42 वर्षीय साजू लॉफबोरो के अगले बिशप होंगे। मंगलवार को कैंटरबरी के आर्कबिशप द्वारा लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल में एक यूचरिस्ट सर्विस के दौरान भारतीय शीशम से बनी एक छड़ी या क्रोजियर के साथ उनका अभिषेक किया गया। साजू की सिफारिश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की थी जिसके बाद उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नियुक्त किया गया था।

गरमा-गरम

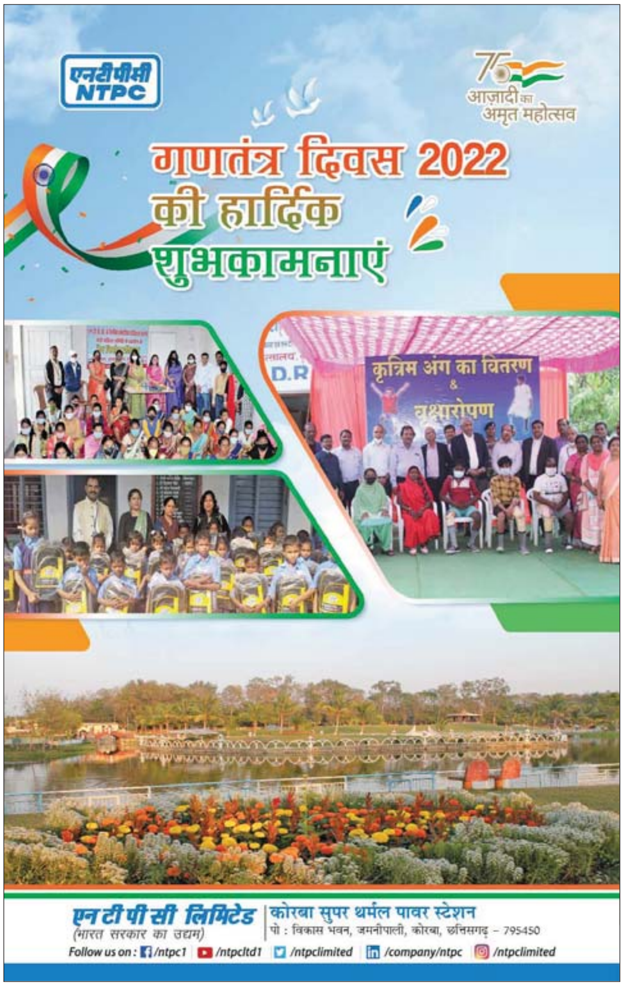

न्यूज गैलरी

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 135 वीं तिमाही की ई-समीक्षा बैठक संपन्न

भिलाई (नव प्रदेश)। भिलाई इस्पात संयंत्र, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 135 वीं तिमाही ई-समीक्षा बैठक गुरुवार, दिनांक 27 जनवरी 2022 को कार्यपालक निदेशक केके सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समस्त कार्यपालक निदेशकगण तथा संयंत्र के सभी विभागप्रमुख, माननीय सदस्य के रूप में ऑनलाइन उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कार्यपालक निदेशक केके सिंह ने कहा कि हमें भारत सरकार के राजभाषा अधिनियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना है। राजभाषा का अनुपालन अधिनियम से नहीं वरन् स्वतःस्फूर्त होना चाहिए। हम आजादी की 75 वीं वर्षगाँठ मनाने जा रहे हैं। आज हिंदी विश्वव्यापी भाषा बन चुकी है। जापान, जर्मनी आदि देशों ने अपनी भाषा को आगे बढ़ाया है और उन्नत हुए हैं। हम अपनी संस्कृति की तरफवापस जा रहे हैं। हमें अपने समस्त कार्य पूर्ण रूप से हिंदी में करने में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी में कार्यव्यवहार हेतु विभिन्न रोचक आयोजनों, गतिविधियों और कार्यशालाओं आदि के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करें। सहायक प्रबंधक जितेन्द्र दास मानिकपुरी ने सदस्यों का स्वागत करते हुए विगत बैठक की कार्यसूची का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात शत-प्रतिशत हिंदी में पत्र व्यवहार करने वाले विभागों की उद्घोषणा की गई एवं आगामी तिमाही की कार्यसूची का वाचन किया। बैठक में कार्यपालक निदेशक श्री के के सिंह के करकमलों से भिलाई इस्पात संयंत्र की गृह पत्रिका भिलाई भाषा भारती के आजादी का अमृत महोत्सव विशेषांक का ई-विमोचन किया गया।

निरंजन महाराज को मिलेगा संत पवन दीवान सम्मान

कुम्हारी (नव प्रदेश)। 2022 का संत पवन दीवान सम्मान से ग्राम लिमतरा निवासी प्रसिद्ध भागवताचार्य श्री निरंजन महाराज को उनके भागवत आश्रम लिमतरा में 30 जनवरी रविवार को प्रादन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार खेलवार होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवान धर दीवान , विशेष अतिथि डॉ. सुधीर शर्मा (साहित्यकार), बीएल कुर्रे, डॉ. तृषा शर्मा होंगे। वहीं संत पवन दीवान की कविताओं का पाठ राजेन्द्र साहू, रजनी रजक एवं अंतराम साहेब द्वारा किया जाएगा। सम्मान समारोह पश्चात अशोक आकाश के संचालन में काव्य पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन महेश वर्मा एवं नारायण चंद्राकर करेंगे। आभार नारायण शर्मा प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में परमेश्वर शर्मा एवं डॉ .रोशन टिकरिया भी उपस्थित रहेंगे।

नपं अमलेश्वर के गठन हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित

दुर्ग (नव प्रदेश)। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 के अधीन ग्राम पंचायत अमलेश्वर को सम्मिलित करते हुए नगर पंचायत अमलेश्वर के गठन हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में विभाग की अधिसूचना दिनांक 21 जनवरी द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर कार्यालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 21 में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिला चिकित्सालय में कॉटन बैंडेज एवं सर्जिकल ग्लब्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध

दुर्ग (नव प्रदेश)। जिला चिकित्सालय दुर्ग में पर्याप्त मात्रा में कार्टन बैंडेज एवं सर्जिकल ग्लब्स उपलब्ध है। सीजीएमएससी शासन से सामाग्री प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भी एनएचएम मद एवं जीवन दीप समिति के मद से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर कलेक्टर अनुमोदन पश्चात् तत्काल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह जानकारी देते हुए सिविल सर्जन पीआर बालकिशोर ने बताया कि जिला चिकित्सालय दुर्ग में पर्याप्त मात्रा में कन्ज्यूमेबल सामग्री एवं दवाईयां उपलब्ध हैं जो समस्त आपरेशन थियेटर एवं वार्डो में आने वाले मरीजों को जनहित में उपलब्ध कराई जाती है।

सरकार के चारो महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत दुर्ग निगम का बेहतर प्रदर्शन

मोबाइल मेडिकल यूनिट में बड़े शहरों को पछाड़ते हुए 1 लाख मरीजों का ईलाज हुआ

- **गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर बहने के बावजूद 25 लाख रूपये का खाद बनाकर बेचा गया**
- **श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल 37 लाख रूपये का दवाई बिक्री किया गया**

नव प्रदेश संवाददाता

दुर्ग (नव प्रदेश)। नगर पालिक निगम द्वारा छ.ग. सरकार के प्रमुख योजनाओं अंतर्गत दुर्ग निगम का बेहतर प्रदर्शन मोबाईल मेडिकल यूनिट में बड़े शहरों को पछाड़ते हुए 1 लाख मरीजो का ईलाज किया गया गोबर बहने के बावजूद 25 लाख रूपये का खाद बनाकर बेचा गया, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल 37 लाख रूपये का दवाई बिक्री किया गया और सिंगल क्लीक भवन अनुज्ञा प्रणाली, निवासी पास 5 सौ मीटर भवन हेतु आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपए में डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्राप्त इन चार महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत दुर्ग निगम की बेहतर प्रदर्शन। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना गोपालक, किसानों के साथ-साथ गोबर बेचने वाले भूमिहिन लोगो को आय का एक श्रोत उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के माध्यम से जैविक खेती में वृद्धि हो रही है साथ ही साथ महिला स्व -सहायता समूह आत्मनिर्भरता राह पर आगे बढ़ रही है। हरेली के दिन से प्रारंभ दिनांक 20 जुलाई 2020 से अद्यतन दिनांक तक के संबंध में उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है। गोकुल नगर पुलगांव में गोठान को महिला स्व0-सहायता समूहो द्वारा संचालित किया जा रहा है। जहां लगभग 450 आवारा पशुओं का पालन पोषण का कार्य किया जा रहा है, पशुओं के लिए चारा, पानी, उपयुक्त शेड अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही साथ गौठान में 200 से अधिक कनेर एवं कदम के पेड़ लगाया गया है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 04 गोबर खरीदी केन्द्र स्थापित किये गये है । जहां गोबर खरीदी का कार्य संचालित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में लगभग 18200 क्विंटल गोबर खरीदी किया जा चुका है। योजना अंतर्गत निकाय क्षेत्र में 320 से अधिक पशुपालको और कृषकों से गोबर खरीदी का कार्य कर उन्हें लाभान्वित किया जा चुका है, अभी-तक इस योजना में लगभग 36 लाख रुपए का भुगतान पशुपालकों और कृषकों को किया गया है । जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। योजना अंतर्गत स्व0-सहायता समूह के द्वारा लगभग 1,500 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट एवं 1,700 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट कुल 3200 क्विंटल खाद् का निर्माण किया जा चुका है। जिससे लगभग 25.2 लाख रूपये लाभ की प्राप्ति होगी । वर्तमान में 600 से अधिक किसानों द्वारा खाद् का क्रय कर जैविक खेती के रूप में उपयोग किया जा रहा है । समूह की महिलाओं द्वारा योजना अंतर्गत गोबर से दिया, कंडा, लकड़ी इत्यादि सामग्री का निर्माण भी किया जा रहा है। समूह द्वारा गोबर का उपयोग कर लगभग 75 हजार नग दिया, 98 हजार नग कंडा एवं 15 हजार नग लकड़ी का उत्पादन किया गया। कंडे एवं लकड़ी का उपयोग शव-दाह में भी किया जा रहा है। खाद् के अलावा अन्य उत्पाद का विक्रय कर लगभग 4.5 लाख रूपये की प्राप्ति हुई। योजना के तहत् स्व0-सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हे 5.4 लाख रूपये लाभांश दी जा चुकी है । इस तरह समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है एवं उन्हे नये-नये रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे है। इस योजना के प्रारंभ होने से नालियों एवं सड़को पर गोबर से हो रही गंदगी में कमी आई है।इस प्रकार उपरोक्त योजना से शहर के पशु पालको एवं किसानो की आय में वृद्धि कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा एवं समूह की महिलाओं को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे है।

बीएसपी प्रबंधन ने सीआईएसएफ को सौंपा 11 मोटर साइकिल

नव प्रदेश संवाददाता

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र में संयंत्र क्षेत्र में सुरक्षा को चाक-चौबंध करने हेतु 28 जनवरी को सीआईएसएफ के भिलाई मुख्यालय में आयोजित सादे समारोह में बीएसपी प्रबंधन द्वारा 11 मोटर साइकिल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया। इस अवसर पर संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (सेवाएं) एसएन आबिदी ने इन वाहनों की पूजा अर्चना कर चाबी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडेंट एसके वाजपेयी को सौंपी।

इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (सेवाएं) एसएन आबिदी सहित सीजीएम (आईएंडए) एवं कार्यकारी सीजीएम (एमएण्डयू), असीत साहा, सीजीएम (मैकेनिकल) एस के गजभीये, जीएम (एल ए एण्ड पीआर) जेकब कुरियन, प्लांट गैरेज के जीएम आरबी गहरवार, जीएम (सेवाएं) एस एन गजभीये, डीजीएम (एल एण्ड ए) सौमिक डे, वरिष्ठ प्रबंधक (एम एण्ड यू) उदयभानु तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक (एल एण्ड ए) एम श्रीनिवास तथा सीआईएसएफ की ओर से कमांडेंट, एसके वाजपेयी, सहायक कमांडेंट, सर्वश्री पीयूष पाण्डेय, रणधीर कुमार, आर एस चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे। विदित हो कि भिलाई इस्पात संयंत्र कई हजार एकड़ क्षेत्रफल में बसा हुआ है। संयंत्र के भीतर छोटे-बड़े, सैकड़ों विभाग कार्यरत है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा निर्वहन किया जाता है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर निगरानी व त्वरित कार्यवाही हेतु वाहन की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए आज दिनांक 28 जनवरी, 2022 को बीएसपी प्रबंधन ने हीरो स्प्लेंडर की 11 मोटर साइकिलें सीआईएसएफ को प्रदान की। इस प्रकार संयंत्र के पेट्रोलिंग गतिविधियों में तेजी आने के साथ ही संयंत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

बार रॉड मिल ने उत्पादन का बनाया नया दैनिक कीर्तिमान

नव प्रदेश संवाददाता

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की महत्वपूर्ण इकाई बीआरएम की संकल्पित टीम ने पुनः अपने ही कीर्तिमान को तोड़ते हुए 27 जनवरी 2022 को 12 एमएम टीएमटी बार मे 2722 टन का उत्पादन कर नया ÷दैनिक कीर्तिमान÷ बनाया। इसके पूर्व यह कीर्तिमान विगत 21 दिसम्बर 2021 को 12 एमएम टीएमटी बार मे 2355 टन उत्पादन का था । इसके साथ ही 27 जनवरी 2022 को प्रथम पाली में 12 एमएम टीएमटी बार मे 500 बिलेट्स को रोल कर नया ÷पाली कीर्तिमान÷ भी स्थापित किया है। बीआरएम ने उत्पाद की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 100 प्रतिशत ग्राहक संतुष्टि को अपना लक्ष्य रखा है। बीआरएम, ग्राहक संतुष्टि को ध्यान मे रखते हुए अपने प्रक्रिया एवं कार्यविधि मे सदैव ही नई तकनीकियों का समावेश करते रहा है जिससे ग्राहकों को बेहतर एवं गुणात्मक उत्पाद प्राप्त होता रहे।

विभाग की इस सफलता पर संयंत्र के उच्च प्रबंधन ने बीआरएम के सभी कार्मिकों को बधाई दी तथा यह विश्वास प्रकट किया कि बीआरएम बिरादरी की यह ऊर्जावान टीम आने वाले समय में और भी नए कीर्तिमान बनाएगी।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

पंजी. नं. 20220110060035

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक बी.के ग्रीन वेंचर्स प्रो. अजय कुमार भट्टर पता पार्क स्ट्रीट 03 प्लाट नं. 08 महाकाल कृपा बिल्डिंग, चौबे कालोनी रायपुर तह. रायपुर जिला रायपुर छग के द्वारा ग्राम मोतीपुर प.ह.नं. 08 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थिति भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नं. 84 रकबा 0.060 हें, खसरा नं. 86 रकबा 0.0240 हे. अर्थात कुल रकबा 32625 वर्गफीट भूमि पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 एवं धारा 59 के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि 28/01/22 तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 12/01/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी पाटन जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र- 2022011017 0027/अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम कौही प.ह.नं. 56 तह. पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण आदित्य कुमार तिवारी पिता शंकर लाल तिवारी अन्य 01 निवासी ग्राम कौही द्वारा ग्राम कौही प.ह.नं. 58 तह. पाटन स्थित आवेदकगण के निता शंकर लाल तिवारी आ. स्व. आनंदराम तिवारी के नाम दर्ज आवेदित भूमि ख.नं. 91/1, 163, 197/2, 389/3, रकबा क्रमशः 0.70, 0.30, 0.51, 0.46 हे. कुल खसरा नं. 4 कुल रकबा 2.03 हे. में शंकर लाल तिवारी आ. स्व. आनंद राम तिवारी का दिनांक 30/05/2015 को फौत होने से नाम विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम फौती नामांतरण दर्ज किए जाने आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव आवेदक आवेदकगण आदित्य कुमार तिवारी पिता शंकर लाल तिवारी अन्य 01 निवासी ग्राम कौही द्वारा प्रस्तुत आवेदन उपरोक्तानुसार नामांतरण कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 26/01/22 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती जिवन्ती किस्पोट्टा पति आस्कर किस्पोट्टा निवासी ग्राम से-2 भिलाई दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 615/2/3 रकबा 450 वर्गफीट भूमि को विक्रेता ब्रिजेश कुमार जायसवाल पिता मालिक राम जायसवाल निवासी ग्राम केम्प-1 भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 01/01/22 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14/1/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्रमांक: 202201101500034/202201101500034

विषयः अ-74 सन्- 2020-2021

मामले की श्रेणी-राजस्व

जामगांव प.ह.न. 00016 (1467 (0.6000 हे.))- पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - / रामबाई अनावेदक पक्षकार - छ.ग. शासन

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम जामगांव एम प.ह.नं. 16 तह. पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका रामबाई पति फत्तूलाल निवासी जामगांव एम तह. पाटन जिला दुर्ग द्वारा ग्राम जामगांव एम प.ह.नं. 16 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थिति अपने नाम दर्ज भूमि खसरा नं. 1467 रकबा 0.60 हे. का ऋणपुस्तिका गुम हो जाने से द्वितीय ऋणपुस्तिका प्रदाय किए जाने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदिका रामबाई पति फत्तूलाल निवासी जामगांव एम तह. पाटन द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋणपुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 18/02/22 तक या उसकेपूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27/01/22 को जारी किया जाता है।

अति. तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र- 202201100700302//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक होशांक देवांगन पिता स्व. हेमनाथ देवांगन निवासी ग्राम गयानगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 751/35 शामिल 752/35, 753/67 रकबा 0.0140 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार हेमनाथ की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10/02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट नायक — पक्षकार का नाम श्रीमती रेणुका नायक पति संजय कुमार — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.- 202201100400294

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रेणुका नायक पति संजय कुमार नायक निवासी आशीष नगर पश्चिम रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	263/4 25	0.017 हें 1835.14 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25/01/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

(धारा 178 प्रारूप)

रा.प्र.क्र.//अ-27/वर्ष 2021-22

क्योंकि मौजा डुन्डेरा तह. व जिला दुर्ग के सह भूमि स्वामी उदेराम आ. स्व. रामलाल साकिन डुन्डेरा तह. व जिला दुर्ग ने निम्नांकित अनुसूचि में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्यों कि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है एवं सुनवाई का दिनांक 25/02/22 स्थान तह. कार्यालय दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हों एवं अपने आक्षेपों यदि कोई हो तो पेश करें। उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नहीं कर पाने की स्थिति में आक्षेपों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(खाते का विवरण): सर्वेक्षण संख्यांक/भूखंडांक- 150, 672

क्षेत्रफल- 0.060, 0.670

भू-राजस्व 2.08/-

आज दिनांक 25/1/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती यामिनी साहू पति नरेन्द्र कुमार साहू निवासी ग्राम रूआबांधा सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 668/5 रकबा 1941 वर्गफीट भूमि को विक्रेता देवाशीष पांडा पिता कालीपोदो पांडा निवासी ग्राम रायपुर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 18/01/22 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10/02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

नाम परिवर्तन

मैं शपथकर्ता विजय कुमार पिता श्री खेमलाल ठाकुर उम्र-24 वर्ष जाति हल्या निवासी- डी./4 मरोटा टैंक भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग. का रहने वाला हूं। मेरा विवरण और पता निम्नानुसार है। मेरी कक्षा 12वी की अंकसूची में मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर दर्ज है तथा मेरे नाम से जारी पैन कार्ड क्र. बी.जी.एफ.पी.टी 2633 टी में मेरा नाम विजय ठाकुर दर्ज है जो कि गलत है। मेरे नाम से जारी आधार कार्ड क्र. 276309306133 में मेरा सही नाम विजय कुमार पिता खेमलाल ठाकुर दर्ज है जो कि सही व सत्य है और मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूं। विजय कुमार ठाकुर, विजय ठाकुर व विजय कुमार तीनों ही मुझ शपथकर्ता एक ही व्यक्ति का नाम है। यह शपथ पत्र मेरा सही नाम आधार कार्ड के अनुसार विजय कुमार पिता खेमलाल ठाकुर होने और इसी नाम से जाने व पहचाने जाने के लिए गजट प्रकाशन हेतु श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष पेश करता हूं।

शपथकर्ता विजय कुमार

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका उषा सूर्यवंशी पिता केजूराम सूर्यवंशी निवासी ग्राम एकता नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 368/38 रकबा 1000 वर्गफीट भूमि को विक्रेता श्रीमती सरिता टावरी पति ओमप्रकाश टावरी निवासी ग्राम महेश कालोनी पुलगांव से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 04/02/22तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. नं. 202201100400300

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रामेश्वरी नेताम पति लक्ष्मणराम नेताम, निवासी ग्राम खल्लारी जिला बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 217/49 रकबा 0.023 हें/ 2475 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27/01/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

कार्यलय संपदा अधिकारी छ.ग. गृह निर्माण मण्डल सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-दुर्ग (छ.ग.)
आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पी.एस.सहदेवन आ. स्व.ए.के.भास्करन निवासी- एल.आई.जी-2/2417, औद्योगिक क्षेत्र भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग) को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र दुर्ग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में स्थित भवन क्रमांक एल.आई.जी- 2/2417 जिला दुर्ग में आबंटित है। आबंटी श्री पी.एस. सहदेवन द्वारा उक्त भवन का विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग से दिनांक 18/01/2001 एवं फ्री होल्ड दिनांक 28/11/2018 अनुसार उक्त भवन बयनामा रिजस्ट्री दिनांक 07/10/21 को श्री राजेश शर्मा आ. स्व. चम्पालाल शर्मा के नाम पर विक्रय कर दिया गया है। नवीन क्रेता श्री राजेश शर्मा द्वारा पंजीकृत दस्तावेज आधार पर उक्त भवन का स्वामित्व मण्डल अभिलेख में अपना नाम पर दर्ज कराने हेतु आवेदन किया है।

अतः नवीन क्रेता श्री राजेश शर्मा के नाम हस्तान्तरण/नामंतरण किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति, वारिसान, शासकीय, अर्धशासकीस बैंक वित्तीय निकायों इत्यादी को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर लिखित में आपत्ति/दावा इस कार्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। बाद में प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र रहेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय के मोहर के साथ आज दिनांक 25/01/2022 को जारी किया गया है।

सम्पदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र दुर्ग (छ.ग)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202201100700289//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश महोबिया वगै. पिता बलदाऊ प्रसाद महोबिया निवासी ग्राम लुचकी पारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1041/12 रकबा 0.006 हे. भूमि को विक्रेता समेश कुमार गुप्ता पिता सुखदेव प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम ब्राम्हण पारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 07/09/19 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10/02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202201100700301//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रद्धा गोपलानी पति राहुल गोपलानी निवासी ग्राम विद्युत नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 52/31 रकबा 0.011 हे. भूमि को विक्रेता सीमा टावरी पति रामदेव टावरी निवासी ग्राम महेश कालोनी पुलगांव दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14/01/22 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 10/02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 21/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

नाम-परिवर्तन

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं ओवेस खान (OWES KHAN) पिता श्री डा. अब्दुल लतीफ, उम्र-33 वर्ष वर्तमान पता क्वा.नं. 1/डी सड़क नं. 27 बी सेक्टर-7 भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग. स्थाई पता न्यू अमन पार्क सुखबाघ रोड पालनपुर बनासकांटा (गुजरात) का हूं। मेरा नाम ओवेस खान(OWES KHAN) है जो कि मेरे दाखिज खारिज में दर्ज है, तथा मेरे जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम ABDUL UWEZ KHAN ALIAS OWES KHAN दर्ज हो गया है। ओवेस खान (OWES KHAN) एवं ABDUL UWEZ KHAN दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के है। परंतु मेरे जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम त्रुटिवश ABDUL UWEZ KHAN ALIAS OWES KHAN दर्ज हो गया है। मै अपना नाम ABDUL UWEZ KHAN ALIAS OWES KHAN के स्थान पर ओवेस खान (OWES KHAN) कराना चाहता हूं जिसके लिए मैं छ.ग. के राजपत्र में प्रकाशन कराना चाहता हूं। आज दिनांक के पश्चात से ही मुझे ओवेस खान (OWES KHAN) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जावे एवं भविष्य के मेरे समस्त दस्तावेजों में भी मेरा वहीं नाम इन्द्राज किया जावें। आज दिनांक के पश्चात से मेरे संपूर्ण शासकीय अर्धशासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे ओवेस खान (OWES KHAN) पिता श्री डॉ. अब्दुल लतीफ से जाना पहचाना व पुकारा जावेगा एवं मेरा यही नाम दर्ज किया जावेगा।

मुहर — **शपथकर्ता ओवेस खान**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट चौधरी — पक्षकार का नाम श्रीमती चन्द्रकला चौधरी पति श्री धनीराम — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.- 202201100400220

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती चन्द्रकला चौधरी पति श्री धनीराम चौधरी निवासी पटेल किराना स्टोर के पा साईं नगर बघेरा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम बघेरा प.ह.न. 07-अ/48 तह. व जिला दुर्ग	323/ 166	0.005 हें /600 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 19/01/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग -1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका मालती साहू आ./पति भरत साहू साकिन दुर्ग के द्वारा ग्राम पुरई प.ह.न 40 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1044/2 का टु. रकबा 1130.45 वर्गफीट भूमि नीतेश कुमार देवांगन/ लखेन्द्र कुमार से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणिकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायाालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 09/02/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20/02/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक दिनेश कुमार साहू पिता कुभाल राम साहू निवासी ग्राम रिसाली तहसील दुर्ग जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 406/60 रकबा 0.0150 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तामान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लिकेट ऋणपुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति बैंको द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 03/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

नाम-परिवर्तन

मैं SWEETY SINGH उम्र 28 वर्ष पिता SHASHI BHUSHAN SINGH पता मकान क्रमांक 506 कातुलबोर्ड एस.ए.एफ लाईनस भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग. की हूं। मैं उपरोक्त दर्शाए गए पते पर निवास करती हूं। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कक्षा दसवीं एवं कक्षा बारहवीं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम SWEETY KUMARI SINGH दर्ज है। मेरे आधार कार्ड संख्या 985017607364 तथा मेरे पेन कार्ड संख्या DMCPS1253N में मेरा नाम SWEETY SINGH दर्ज है। SWEETY SINGH एवं SWEETY KUMARI SINGH ये नाम एक ही व्यक्ति के है अर्थात ये नाम मेरे स्वयं के है। मेरा वास्तविक एवं सही नाम SWEETY SINGH है जो कि जिसे मैं अपने पासपोर्ट के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूं जिसके समर्थन में यह शपथपत्र प्रस्तुत करना है। अत: शपथपत्र प्रस्तुत है।

मुहर — **शपथकर्ता SWEETY SINGH**

नाम-परिवर्तन

मैं शपथकर्ता रविन्द्र दास पिता श्री धनीराम दास निवासी 879/6 अग्रसेन आई.टी.आई के पीछे, चन्द्र नगर सुपेला भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग. का हूं। मैं अपना पुराना नाम RAVINDRA KUMAR DAS S/o DHANI-RAM DAS को बदलकर नया नाम RAVINDRA DAS S/o DHANIRAM DAS रख लिया हूं, अत: अब मुझे भविष्य में समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय व अन्य दस्तावेजों में नया नाम RAVINDRA DAS S/o DHANIRAM DAS के नाम से जाना व पहचाना जाए। दी गई जानकारी सही व सत्य होने के प्रमाण में यह शपथ पत्र श्रीमान सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है।

मुहर — **शपथकर्ता रविन्द्र दास**

मिनीमम कट तकनीक (एमसीटी) से 110 किलो के मरीज का हुआ सफल हिप रिप्लेसमेन्ट

रायपुर/नवप्रदेश। हाल ही में शहर के जाने-माने जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. अंकुर सिंघल 110 किलो के मरीज का मिनीमम कट तकनीक से सफलतापूर्वक कुल्हे (HIP) का ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इस मरीज का वजन लगभग 110 किलो और BMI (Basal Metabolic Inde&) 40 से ज्यादा था।

वह एवैस्कुलर नेक्रोसिस (AVN) नामक कुल्हे की बीमारी से वह लगभग 03 वर्ष से ग्रसित था जिसके चलते वह अपना घरेलू कामकाज भी नहीं कर पा रहा था एवं उनका घर से बाहर जाना भी असंभव हो गया था। कुल्हे की बीमारी के कारण उनको चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी एवं वह लंगड़ा कर चल रहा था। वजन ज्यादा होने के कारण उनका कहीं भी ऑपरेशन संभव नहीं हो पा रहा था। इस बीमारी के चलते उन्होंने जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकुर सिंघल को दिखाया। उनके प्रोत्साहन से उन्होंने कुल्हे का ऑपरेशन मिनीमम कट तकनीक द्वारा करवाया जो कि सफल रहा। ऑपरेशन के 3 घंटे बाद मरीज को चलाया गया। ऑपरेशन के तीसरे दिन बिना सर्पोट के चलाया एवं सीढ़िया चढ़ाया गया। जिस दर्द को वह 03 वर्षों से सहन कर रहे थे वह पूरी तरह से गायब हो

गया। आज वह बिना दर्द के लगभग 6 कि.मी. आसानी से चल लेते है और बाहर भी आ-जा सकते है एवं घरेलू कामकाज करने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। इस ऑपरेशन ने उनको एक नई और स्वस्थ्य जिंदगी प्रदान की है। डॉ. अंकुर सिंघल ने बताया कि मरीजों में उनके द्वारा इज़ात की हुई इस तकनीक से जोड़ प्रत्यारोपण के बाद मरीजों की रिकवरी फास्ट होती है। इस तकनीक से मरीज न सिर्फ केवल कुछ घंटे बाद चल सकता है बल्कि अपनी सामान्य जीवन में तेजी से वापस लौट सकता है।

ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद चलाना

पूर्व में जोड़ प्रत्यारोपण के बाद मरीज को ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहा जाता था। लेकिन अब इस तकनीक से सर्जरी के समय से लेकर रिकवरी का समय भी कम हो गया है। मरीज को ऑपरेशन वाले दिन ही कुछ घंटों में चलाया जाता है और ऑपरेशन के दूसरे दिन सीढ़ी चढ़ाई जाती है।

कम समय में ऑपरेशन

जहां पूर्व में एक जोड़ प्रत्यारोपण में 3-4 घंटा लगता था। लेकिन अब इस तकनीक की वजह से ऑपरेशन एक घंटे में ही हो जाता है जिससे सर्जरी का रिस्क जैसे ड्ढ हार्टअटैक, इंफेक्शन, डीवीटी का खतरा भी कम हो जाता है।

कम दवाओं का उपयोग

इस तकनीक से ना सिर्फरिकवरी में तेजी होती है दर्द निवारक की दवाओं का भी कम उपयोग होता है।

क्या है यह मिनीमम कट तकनीक?

छोटे चीरे में सर्जरी

जहां पहले जोड़ प्रत्यारोपण में बड़ा चीरा लगता था एवं खून का स्त्राव ज्यादा होता था इस तकनीक की वजह से छोटे चीरे में सर्जरी होती है, चमड़ी पर कोई टांका नहीं लिया जाता एवं रक्त का स्त्राव भी कम होता है, जिसकी वजह से मरीज को खून नहीं चढ़ाया जाता।

कम दिन हॉस्पिटल में रहना एवं मानसिक तनाव कम होना

फास्ट रिकवरी के परिणामस्वरूप मरीज को हॉस्पिटल में सिर्फ 3 दिन ही रूकना पड़ता जिससे इसका मानसिक तनाव कम रहता है और वह घर जाकर जल्दी ही सामान्य कार्य करने लगता है।

केयर हॉस्पिटल्स ग्रुप एक मल्टीस्पेशलिटी हेल्थकेयर प्रदाता है, जिसके 14 अस्पताल भारत के 5 राज्यों के 6 शहरों में संचालित किए जा रहे हैं। दक्षिण/मध्य भारत में तृतीयक देखभाल और शीर्ष 4 अखिल भारतीय अस्पताल श्रृंखलाओं में अपने क्षेत्र में अग्रणी केयर हॉस्पिटल टर्शिएरी केयर सेटिंग्स में 30 से अधिक स्पेशियलिटीज में व्यापक देखभाल प्रदान करते हैं।

न्यूज गैलरी

विस् अध्यक्ष डॉ. महंत की उपस्थिति में यूनिसेफ का राज्य स्तरीय अभियान 'मोर जिम्मेदारी' संपन्न हुआ

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) द्वारा समर्थित यूनिसेफ और एकता परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में COVID19 टीकाकरण और COVID उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने लंबा 'मोर जिम्मेदारी' अभियान का आज अपने निवास कार्यालय में समापन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ महंत ने कहा की डर और चिंता के बीच, मोर जिम्मेदारी अभियान छत्तीसगढ़ में सबसे कमजोर समुदायों के बीच विश्वास बनाने और COVID19 टीकाकरण को प्रोत्साहित करने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि 'मोर जिम्मेदारी' जैसे अभियानों के लिए धन्यवाद जिन्होंने लोगों को सीएबी का पालन करने और टीकाकरण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करके हजारों लोगों की जान बचाई। मोर जिम्मेदारी अभियान राज्य भर में आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए सीएबी और टीकाकरण को बढ़ावा देने की तत्काल एवं आवश्यक पहल थी जो सफल हुई। यूनिसेफछत्तीसगढ़ के प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि यह अभियान दूर-दराज के गांवों तक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने और आदिवासी समुदायों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने में सफल रहा। जिससे उनमें कोविड के टीकाकरण से सम्बंधित डर और चिंता समाप्त हुई। विगत छः महीनों में यह अभियान यह 700 से अधिक गांवों और बस्तियों और 374 हाट बाजारों में फैले दस लाख से अधिक लोगों तक पहुँचा। यह अभियान प्रमुख स्थानों जैसे बाजारों, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों और पूजा स्थलों में प्रमुख संदेशों को फैलाने में सफल रहा।

एनजीओ व एनएसएस ने मेडिसिन देकर कोरोना से बचाव का दिया सन्देश

रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु शहर के एनजीओ एवं एनएसएस कैडेट्स कोरोना वारियर्स के रूप में लोगों के बीच पहुंचकर कोविड से बचाव हेतु जन-जागरूकता अभियान संचालित कर रहे हैं। आज गुलाब बाबा फाउंडेशन और उत्कल महिला महामंच द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में राजेंद्र नगर में जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने हेतु प्रेरित किया, साथ ही जरूरतमंदों को मेडिसिन किट के साथ मास्क भी वितरित किया गया। संस्था के सदस्यों द्वारा घर-घर पहुंचकर व राह चलते नागरिकों से टीकाकरण के दोनों डोज़ लगवाने एवं उनके घर के सभी सीनियर सिटीजन का टीकाकरण सुनिश्चित करने की अपील की। सेनिटाइजर का उपयोग नियमित करने एवं दूरी बनाए रखने हेतु भी प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में उत्कल महिला महामंच कि अध्यक्ष सावित्री जगत के साथ हेमा सागर, पिंकी निहाल, गौतम मेश्राम, गौरी साहू, मधु सोनी, माधुरी बघेल, मेरी प्रिंसेस, हेमा नायक, आशा अरोरा और भूमि महानंद उपस्थित रहे।

73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर चेम्बर कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी कि 73वां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफकामर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट रायपुर में 26 जनवरी को प्रातः 9.30 बजे ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम के पूर्व सर्वप्रथम पूजा अर्चना कर भारत माता एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर में माल्यार्पण, गुलाल व पुष्प अर्पित किया गया। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के द्वारा प्रातः ठीक 9.30 बजे ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात् राष्ट्रगान एवं भारत माता का जयघोष किया गया एवं सभी पदाधिकारियों व्यापारी एवं उद्योगपति बंधुओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी।

इस अवसर पर चेम्बर संरक्षक भारामल मत्थानी, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, सलाहकार अमर गिदवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल, कार्यकारी महामंत्री- कपिल दोशी, विकास आहूजा, प्रदेश प्रभारी आईटी सेल- कैलाश खेमानी, उपाध्यक्ष-जय नानवानी, पवन वाधवा, मंत्री-नीलेश मूंधड़ा, गोविंद माहेश्वरी, महेश प्रसाद राय, प्रदेश सांस्कृतिक प्रभारी - आलोक शर्मा, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल सहित अनेक व्यापारी, उद्योगपति प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

गणतंत्र दिवस : स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें...

- आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
- भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, इसमें हमारा उत्तरोत्तर सहयोग अपेक्षित : नवीन जिन्दल

रायपुर/नवप्रदेश। जे.एस.पी. ने अपने कर्मचारियों में संचार कौशल विकसित करने और उन्हें सुनने के लिए बेस्ट प्लेस टू वर्क पर काम करना शुरू किया है ताकि संस्थान के विकास में प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हमारा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय एक ऐसा संस्थान बनना है, जिससे जुड़कर युवा इंजीनियर और अन्य प्रोफेशनल्स गर्व की अनुभूति करें।

आपने निश्चित रूप से थ्योरी औफ कन्सट्रेंट्स को समझा होगा और एक्सट्रीम ओनरशिप, द वन थिंग पढ़ी होगी। कोई भी कंपनी तभी आगे बढ़ती है, जब उसके सदस्य निरंतर अपना ज्ञान बढ़ाते रहें और अपनी कार्यशैली का विकास करते रहें ताकि उनमें नेतृत्व की भावना उत्पन्न हो। सच्चा लीडर वही है जो दायित्व संभालने में न डरे क्योंकि नाकामयाबी के लिए वह जिम्मेदार है तो कामयाबी का श्रेय भी उसे ही मिलता है। हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बहुत गर्व और उत्साह के साथ मनाते हैं क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था। हमें गर्व है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस अवसर पर मैं डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब

जिन्दल स्टील में गणतंत्र दिवस मनाया गया

डॉ. भीमराव अंबेडकर और सभी संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं। भारतीय गणतंत्र के तीन अंग हैं विधानपालिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका। लेकिन इन तीनों अंगों की शक्तियां भारत के लोग में समाहित हैं क्योंकि लोगों से ही राष्ट्र बनता है। हम भारत के लोग ही गणतंत्र का संचालन करते हैं।

संविधान ने हम सभी को स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किये हैं तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति सदैव कटिबद्ध रहना हमारा भी कर्तव्य है।

हमें गर्व है कि जे.एस.पी. इस देश के विकास में अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभा रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमसभी के प्रेरणास्त्रोत और कंपनी के संस्थापक चेयरमैन बाऊजी श्री ओपी जिन्दल जी स्वदेशी के हिमायती थे। उन्होंने अपने हाथों से अनेक मशीनें बनाईं और स्टील एवं पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया। उनकी नीतियों ने भारत के करोड़ों लोगों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उनके बताए मार्ग पर चलकर हमारे आदरणीय चेयरमैन सर श्री नवीन जिन्दल के नेतृत्व में जेएसपी राष्ट्र के विकास में एक नया अध्याय लिख रही है।

नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ ही आज के युग में प्रतिस्पर्धा में आगे आना सम्भव हो सकेगा, इसी पथ पर जिन्दल स्टील आगे बढ़ रहा हैः नीलेश टी. शाह

हमें गर्व है कि जे.एस.पी. इस देश के विकास में अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभा रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमसभी के प्रेरणास्त्रोत और कंपनी के संस्थापक चेयरमैन बाऊजी श्री ओपी जिन्दल जी स्वदेशी के हिमायती थे। उन्होंने अपने हाथों से अनेक मशीनें बनाईं और स्टील एवं पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया। उनकी नीतियों ने भारत के करोड़ों लोगों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया।

अरविंद तगई ने नवीन जी का सन्देश पढते हुए कहा कि आदरणीय चेयरमैन सर के प्रयासों से देशवासियों को साल के 365 दिन सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने की आजादी मिली है। पहले गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों को छोड़कर आम नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। लेकिन चेयरमैन सर ने देश की जनता को यह अधिकार दिलाने का संकल्प लिया और इसके लिए एक दशक से ज्यादा लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने का मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिया।

तीन रंगों की रोशनी से जगमगाया मल्टीलेवल पार्किंग एवं सिटी कोतवाली थाना भवन

रायपुर/नवप्रदेश। गणतंत्र दिवस के मौके पर रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा कलेक्ट्रेट के पास नवनिर्मित मल्टीलेवल पार्किंग एवं सिटी कोतवाली थाना भवन तीन रंगों के अपने खूबसूरत आभामण्डल से शहरवासियों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. ने इन दोनों भवनों को तिरंगे की आकर्षक रोशनी से सजाया है। तीन रंग की लाइटिंग की वजह से दोनों भवनों का यह निखरा स्वरूप सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा।

गणतंत्र दिवस कोविड-19 का पालन करते हुए हर्षोल्लास से मनाया गया

रायपुर/नवप्रदेश। एनटीपीसी सीपत में 26 जनवरी को 73वां गणतंत्र दिवस समारोह बहुत ही हर्षोल्लास एवं सद्भावना से कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया गया। इस पावन पर्व पर मुख्य अतिथि, के एस नायक, महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) स्टेशन प्रभारी ने कमलाकर सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (सीपीजी-2) की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस दौरान बाल भारती पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ सामूहिक राष्ट्रगान गायन किया गया। तत्पश्चात् मुख्य अतिथि महोदय नायक ने सी.आई.एस.एफ के परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान सी.आई.एस.एफ के जवानों

द्वारा मार्च पास्ट किया गया।

मुख्य अतिथि महोदय ने अपने सम्बोधन के माध्यम से देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए, समारोह में उपस्थित सभी कर्मचारियों उनके परिजनों, स्कूली छात्र-छात्राओं को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। के एस नायक ने एनटीपीसी की उपलब्धियों को याद करते हुए कहा कि एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता संयुक्त उद्यमों सहित 67907.5 मेगावाट है, देश के ऊर्जा जरुरतों को पूरा करते हुए देश और समाज के विकास में योगदान हमारा प्रमुख लक्ष्य है। उन्होने एनटीपीसी सीपत की उपलब्धियों को याद करते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान अबतक दिनांक 25.01.2022 तक 82.80 प्रतिशत पीएलएफकी दर से कुल 17760 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया द्य दिसंबर 21 तक सीपत स्टेशन ने 16438 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर एनटीपीसी मे तीसरा तथा 83.58त्न पीएलएफ के साथ एनटीपीसी में चौथा स्थान पर रहा। मुख्य अतिथि महोदय ने परियोजना में कार्यरत नैगम सामाजिक दायित्व अनुभाग, संगवारी महिला समिति, सभी यूनियन व एसोसिएशन की उनके रचनात्मक व सकारात्मक योगदान के लिए सराहना की।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि

कलिंगा विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस

रायपुर/नवप्रदेश। कलिंगा विश्वविद्यालय में 73 वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर. श्रीधर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जिसके उपरांत कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय के एन.सी.सी. और एन.एस.एस. के स्वयंसेवकों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गयी। कलिंगा विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. आशा अंभईकर एवं चीफप्रोक्टर डॉ. ए. विजय आनंद ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर अतिथि के रूप् में श्री. एस. एन. श्रीवास्तव एवं डॉ. संयुक्ता गांधी उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर. श्रीधर ने ध्वजारोहण के पश्चात् उपस्थित विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए बताया कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज हमारा देश संसदीय एवं लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सामने आया। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अथक संघर्ष और उनके जीवन की आहुति के पश्चात् ही भारत स्वतंत्र हुआ था और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हुए थे। आज हम सभी को मिल जुलकर अपने देश की लगातार उन्नति के लिए सतत् प्रयास करना होगा। जिससे विश्व में भारत का नाम लगातार बुलंदियों को चूमें।

मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पश्चात् विश्वविद्यालय के एन.सी.सी. इन्चार्ज लेफ्टिनेंट विभा चन्द्राकर के निर्देशन में एन.सी.सी. के कैडेटस के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गयी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती स्मिता प्रेमानंद के निर्देशन में एन.एस.एस. के स्वयंसेवक भी सम्मिलित थे।

इस अवसर पर डॉ. संयुक्ता गांधी ने अपनी देशभक्ति कविताओं से सबका मन मोह लिया। इसी क्रम में फैशन डिजाईन की सहायक प्राध्यापिका श्रीमती स्मिता प्रेमानंद और विधि विभाग की सहायक प्राध्यापिका सुश्री श्रेया सिंह ने अपनी देशभक्ति कविताएँ की प्रस्तुति दी।

जिला अस्पताल पंडरी और शहीद स्मारक भवन में बनाया गया है डे नाइट टीकाकरण केंद्र

रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर के दो कोविड टीकाकरण केन्द्रों में 28 जनवरी से डे नाइट टीकाकरण सत्र चलाया जाएगा। जिसमें शहीद स्मारक भवन एवं जिला अस्पताल पंडरी को शामिल किया गया है। इन केन्द्रों में डे नाइट टीकाकरण दो पालियों में किया जाएगा। जिसमें प्रथम पाली सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा।

जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहीद स्मारक भवन के केन्द्र प्रभारी श्री शरद ठाकुर (मोबाइल नम्बर 9302123008) तथा जिला अस्पताल पंडरी के केन्द्र प्रभारी डॉक्टर नीरज ओझा (मोबाइल नम्बर 9691654181) को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे कामकाजी नौकरीपेशा वर्ग जो देर तक अपने काम में व्यस्त रहने और टीकाकरण के पुराने समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के समय में अपना टीकाकरण नहीं करवा पा रहे थे ऐसे सभी लोग इस डे नाइट टीकाकरण केन्द्र में अपना टीकाकरण करवा सकते है। जिससे कवरेज में वृद्धि होगी।जिला प्रशासन एवम स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जनता से अपील किया गया है कि जिसने अभी तक करोना वैक्सीन नहीं लगवाए है वे करोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं स्वयं सुरक्षित रहें एवं परिवार को भी सुरक्षित रखें ताकि करोना महामारी से बचा जा सके।

आश्वासन — गणतंत्र दिवस की घोषणाओं को कांग्रेस ने बताया ऐतिहासिक

मुख्यमंत्री ने सभी के लिये समृद्धि के द्वार खोले : मरकाम

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई व्यापक लोकहित, कर्मचारी हित की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई घोषणाओं से राज्य के हर वर्ग की उन्नति के द्वार खुलेंगे कर्मचारी तथा आम आदमी श्रमिक और लड़कियों सभी के लिये मुख्यमंत्री ने सार्थक घोषणायें किया है। मुख्मंत्री ने बच्चियों के हितों में छत्तीसगढ़ में श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी। जिसके तहत हितग्राहियों की पहली 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी। शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा। शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। रिहायसी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए इसी साल कानून लाया जाएगा। नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के भूखंड बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी। शहरी

क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी। लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। साथ ही बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र युवा रोजगार के लिए शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर राज्यस्तरीय तीरंदाजी अकादमी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में शुरू की जाएगी। नल कनेक्शन प्रक्रिया को सरल कर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। वृक्ष कटाई की अनुमति के नियमों को सरल कर नागरिकों के हित में नियमों आवश्यक संशोधन किया जाएगा। औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। खरीफवर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मुंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा ने पंद्रह साल जनता से झूठे वादे किए। नतीजा सामने है कि विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के अनुरूप काम किया है और तेजी से कर रही है। इसलिए अब गुजरात मॉडल कहीं नजर नहीं आ रहा। पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज है।

संपादकीय

अंतर्कलह से ग्रस्त कांग्रेस

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उतराखण्ड, गोवा और मणिपुर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए पंजाब में ही फिर से सरकार बनाने की संभावना है। जहां इन दिनों उसकी सरकार है किन्तु अंतर्कलह से ग्रसित कांग्रेस के लिए विपक्षी पार्टियों से जूझने की जगह अपने लोगों से ही दो-दो हाथ करना पड़ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच रस्साकसी चल रही है। टिकट के बंटवारे के दौरान भी इन दोनों नेताओं के बीच तल्खी देखने को मिली थी। अब इन दोनों के बीच पंजाब का भावी मुख्यमंत्री बनने की होड़ लग गई है। राहुल गांधी के पंजाब दौरे के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने तो साफ कह दिया कि पार्टी आलाकमान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें तो कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। उनकी इस मांग पर राहुल गांधी ने जल्द से जल्द विचार करने का आश्वासन दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में से किसे कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पेश करती है और इसके बाद पंजाब कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी कितनी दूर हो पाती है। गौरतलब है कि विभिन्न खबरिया चैनलों पर पंजाब को लेकर जो ओपिनियन पोल दिखाएं जा रहे है उसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है। कांग्रेस को दुसरे नंबर पर रखा जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पा रही है। ऐसी स्थिति में पंजाब में त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। अभी भी समय है यदि कांग्रेस गुटबाजी को खत्म करती है तो वह पंजाब में बेहतर स्थिति में आ सकती है। वैसे भी कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह का अलग होना और नई पार्टी बनाना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी और भाजपा मिलकर भी दौड़ में शामिल नहीं दिख रहे है लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचा ही सकते है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर यदि कांग्रेस हाईकमान पंजाब में कांग्रेस को एकजुट कर पाती है तो निश्चित रूप से उसे इसका लाभ मिल सकता है।

विचार

हिंसक होते असंतोष के मायने

आरआरबी-एनटीपीसी के परीक्षा-परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र आंदोलित हैं। गुस्साए अभ्यर्थियों ने एकाधिक ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद विरोध-प्रदर्शन के औचित्य पर सवाल उठने लगे हैं। चर्चा होने लगी है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर अपनी मांगें मनवाना क्या उचित है! निस्संदेह, विरोध एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा लोग अपनी शिकायत या नाराजगी जाहिर करते हैं, मगर यह भी सच है कि किसी भी हिंसक विरोध का समर्थन नहीं किया जा सकता। दरअसल, किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनता विरोध का सहारा लेती है। यह एक ऐसा अधिकार है, जो संविधान द्वारा देश के नागरिकों को हासिल है। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है यह। जनता ने भले सरकार को चुना हो, लेकिन अगर उसे लगता है कि हुकूमत उसकी बातें नहीं सुन रही, तो वह विरोध के अपने सांविधानिक अधिकारों के तहत अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचाती है। मगर विरोध को लेकर जितनी चिंता पिछले एक दशक से देखने को मिल रही है, उतनी पहले नहीं थी। विरोध कोई आज की परंपरा नहीं है। आजादी ही हमें विरोध से हासिल हुई है। आजाद भारत में भी 1975-77 के आपातकाल के खिलाफ तमाम राज्यों में विरोध-प्रदर्शन हुए, क्योंकि लोग सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये से नाराज थे। 1991 में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, तब भी देश भर के छात्रों ने विरोध किया। 1990 के दशक की शुरुआत में मंदिर-मस्जिद को लेकर भी पूरे देश में विरोध चलता रहा। सीएए-एनआरसी को लेकर भी लोग उबलते रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर तो किसानों का आंदोलन एक साल तक चला। मगर पहले प्रशासन विरोध-प्रदर्शनों से विचलित नहीं होता था। आंदोलकारियों को राष्ट्रद्रोही साबित करने की जल्दबाजी नहीं होती थी। इतने सख्त हाथों से आंदोलनों को दबाने की कोशिश नहीं की जाती थी। बेशक, प्रशासन को आंदोलन से निपटने का अधिकार है, ताकि सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे या आम जनता को असुविधा न हो, लेकिन पहले के वर्षों में आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जाते थे। बातचीत का दरवाजा खुला रखा जाता था। लेकिन अब इसका अभाव दिखने लगा है। यहां यह बहस बेमानी है कि इस तरह के आंदोलन सफल नहीं होते। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ऐसे विरोध सफल हुए हैं। अंग्रेजी हुकूमत का विरोध हमें आजादी की सौगात दे गया। आपातकाल के विरोध से सरकार बदली। मंडल आयोग का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट तक गया और अंत में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। राम मंदिर भी अपने अंजाम तक पहुंचा। किसान आंदोलन के बाद सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। सीएए और एनआरसी को भी विरोध के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कुलजमा, तात्पर्य यही है कि इस तरह के आंदोलन इसलिए सफल होते हैं, क्योंकि जिन मुद्दों पर ये किए जाते हैं, उनसे जनता के एक बड़े हिस्से का सरोकार जुड़ा होता है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। करीब सवा लाख पदों के लिए सवा करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, यानी एक पद पर सौ गुना आवेदन आए थे, जबकि ज्यादातर भर्तियां ग्रुप डी स्तर की थीं।

केंद्र और राज्यों को साथ काम करने की आवश्यकता

बी के चतुर्वेदी

केन्द्र अगर किसी अधिकारी को चाहता है, तो वह राज्य को इस आशय सुझाव देगा। यदि दोनों सहमत होते हैं, तो उक्त अधिकारी को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। यदि राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए उस अधिकारी के नाम का सुझाव नहीं देना चाहता है, तो संवर्ग नियमों के तहत इस संबंध में शक्ति होने के बावजूद केन्द्र राज्य के विचारों का सम्मान करेगा। अतीत के अनुभवों से यह पता चलता है कि केन्द्र द्वारा अपनी शक्तियों का ऐसा प्रयोग प्रतिकूल साबित होता है। संवर्ग प्रबंधन के संदर्भ में इसके नतीजे अच्छे नहीं होते हैं। केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि संवर्ग प्रबंधन की उत्कृपष्टत सफलता सुनिश्चित करने हेतु उप सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए कार्य परिस्थितियों को बेहतर करना अत्यति आवश्यरक है।

हाल में मीडिया में ऐसी कई रिपोर्टें आयीं हैं, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर आईएएस अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए आईएएस सेवा नियमों में संशोधन के भारत सरकार के प्रस्तावित कदम को लेकर कई राज्य सरकारों की गंभीर चिंताओं का जिक्र है। वर्तमान व्यवस्था के तहत, राज्यों से अधिकारी स्वेच्छा से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनते हैं। केंद्र इन अधिकारियों में से रिक्त पदों के लिए या निकट भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के लिए चयन करता है। ऐसा करते समय केंद्र, अधिकारी के पिछले अनुभव के आधार पर उसकी उपयुक्तता पर विचार करता है। एक बार चयन को अंतिम रूप देने के बाद, राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त करने का अनुरोध करते हुए आदेश जारी किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य का एक निश्चित कोटा होता है, जिससे ज्यादा उसके अधिकारियों को केंद्र द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

पिछले दशक में, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों की संख्या में क्रमिक गिरावट आई है। 60 के दशक में जहां अवर सचिव स्तर पर भी कई आईएएस अधिकारी होते थे, वहीं वर्तमान में केंद्र सरकार के लिए संयुक्त सचिव स्तर पर भी पर्याप्त संख्या में अधिकारियों का मिलना मुश्किल होता जा रहा है। आमतौर पर, राज्यों की कुल संवर्ग संख्या में से लगभग 25 से 30 प्रतिशत अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हुआ करते थे। वर्तमान में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में 10 प्रतिशत से भी कम अधिकारी कार्यरत हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में यह संख्या 8 से 15 प्रतिशत के बीच है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए पहले अधिकारियों में एक आकर्षण हुआ करता था। इसे अधिकारी की योग्यता के रूप में देखा जाता था। चयन प्रक्रिया कठिन थी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की इस अनुपलब्धता का एक कारण करीब डेढ़ दशक पहले के कुछ वर्षों में अधिकारियों की अपर्याप्त भर्ती थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है- राज्यों के पास तुलनात्मक रूप से बेहतर सेवा शर्तें हैं। हालांकि नियमों में किसी भी बदलाव के पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र और राज्यों में अधिकारियों की कमी में संतुलन रहे। यदि राज्य में अधिकारियों की कमी है, तो केंद्र को इसे स्वीकार करना चाहिए और वर्ष की शुरुआत में राज्य के साथ एक उचित

व्यवस्था करनी चाहिए। राज्यों पर भी इसी तरह की जिम्मेदारी है।

नियमों में प्रस्तावित बदलावों को उपरोक्त आधार पर स्पष्ट रूप से गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसका उद्देश्य एक किस्म की विसंगति को दूर करना है। राज्यों की संवर्ग संख्या निर्धारित करते समय उच्च स्तर के कर्तव्य वाले लगभग 40 प्रतिशत पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रखे जाते हैं। इसलिए केन्द्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निश्चित संख्या में पदों को रखे जाने के बारे में राज्यों के लिए नियुक्ति और स्वीकृत पदों की प्रक्रिया से संबंधित एक अंतर्निहित प्रावधान है। अतीत में हुई अपर्याप्त भर्तियों को देखते हुए नियमों में प्रस्तावित बदलाव केंद्र और राज्यों के बीच इस कमी को समान रूप से साझा करने का प्रावधान करता है। चूंकि रिक्तियों को समय पर भरे जाने की जरूरत होती है, इसलिए समय-सीमा से जुड़ा एक सुझाव भी है जिसके भीतर राज्यों को जवाब देना चाहिए और प्रतिनियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी को कार्यमुक्त करना चाहिए।

हालांकि, राज्यों की भी कई चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि राज्यों के साथ चर्चा के दौरान जब वे उन अधिकारियों की सूची देते हैं जिन्हें वे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेजना चाहते हैं, तो यह विशुद्ध रूप से राज्यों का प्रस्ताव होगा। यह प्रस्ताव राज्य की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर होगा और फिर अतीत में हुई भर्ती में कमी को समान रूप से साझा करते हुए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए नामों की पेशकश की जायेगी। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे जाने वाले अधिकारियों की सूची तैयार करने में केन्द्र की कोई भूमिका नहीं होगी।

केन्द्र अगर किसी अधिकारी को चाहता है, तो वह राज्य को इस आशय सुझाव देगा। यदि दोनों सहमत होते हैं, तो उक्त अधिकारी को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। यदि राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए उस अधिकारी के नाम का सुझाव नहीं देना चाहता है, तो संवर्ग नियमों के तहत इस संबंध में शक्ति होने के बावजूद केन्द्र राज्य के विचारों का सम्मान करेगा। अतीत के अनुभवों से यह पता चलता है कि केन्द्र द्वारा अपनी शक्तियों का ऐसा प्रयोग प्रतिकूल साबित होता है। संवर्ग प्रबंधन के संदर्भ में इसके नतीजे अच्छे नहीं होते हैं।

केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि संवर्ग प्रबंधन की उत्कृपष्टत सफ लता सुनिश्चित करने हेतु उप सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए कार्य परिस्थितियों को बेहतर करना अत्यति आवश्यरक है। यदि बड़ी संख्या में अधिकारी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनते हैं, तो राज्यों पर संबंधित नामों की पेशकश करने का दबाव होगा। वहीं, दूसरी ओर यदि केवल कुछ ही अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनते हैं, तो राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों को दिल्ली जाने का विकल्प चुनने के लिए विवश करेगी। इस स्तर के कई अधिकारियों को दिल्ली में अपने बच्चों की शिक्षा, आवागमन और काफ ी महंगे जीवनयापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को अवश्यक ही सुलझाना होगा। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ता देना एक अच्छान विकल्प हो सकता है। विशेष स्कूलों जैसे कि संस्कृति और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला सुनिश्चित करके उन्हें अपने बच्चों् की अच्छी शिक्षा का भरोसा दिलाया जा सकता है। ये प्रतिष्ठित संस्थान इस मुद्दे पर डीओपीटी के साथ उचित समझौता कर सकते हैं।

राज्यों को भी इस मुद्दे पर विरोधात्मक या प्रतिकूल नजरिए से नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ गौर करना होगा, जिसके तहत केंद्र और राज्य दोनों की ही जरूरतों में उचित सामंजस्यत बैठाना और पूरा करना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत केवल संबंधित अधिकारियों की कमी को पूरा करने और जहां आवश्यक हो इसे साझा करने की एक व्यधवस्थाो सुझाई गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को चाहिए कि वह केंद्रीय सत्ता के दुरुपयोग को लेकर राज्यों की आशंकाओं को दूर करे।

अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी

नरविजय यादव

होम गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स वैलफेयर एसोसिएशन (हेवा) के निदेशक, विकास सिंह चौहान का कहना है कि 10 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम (पीएलआई) शुरू होनी चाहिए। आरओडीटीईपी बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए। वित्त मंत्री से आपूर्ति मांग असंतुलन पर दबाव कम करने के लिए सूती धागे पर आयात शुल्क हटाने का अनुरोध है। तैयार माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ समय के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रोत्साहन भी हटना चाहिए। दो सप्ताह के बाद, अक्टूबर जैसी स्थिति होने जा रही है, जब माल ढुलाई और कंटेनर की लागत बहुत अधिक थी। बजट को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट से प्रेरणा लेनी चाहिए।

अर्थशास्त्रियों और छोटे बड़े सभी उद्यमियों की नजर संसद के बजट सत्र पर लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश करने वाली हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। सत्र दो भागों में आयोजित किया जाएगा, पहला भाग 11 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। हर उद्योग अपने-अपने हिसाब से बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है। इस बार का बजट स्टार्टअप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह साल स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और स्टार्टअप सरकार से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम की उम्मीदें कुछ टैक्स में छूट और स्टार्टअप्स के अनुकूल उपायों के संबंध में हैं। इसी तरह, कपड़ा और निर्यात उद्योग की शिकायत है कि भारत के पास वैश्विक शिपिंग लाइन और लार्ज कैप कंटेनर निर्माण इकाई नहीं है। समय आ गया है कि भारत एक वैश्विक शिपिंग लाइन बनाने के लिए ठोस कदम उठाए।

होम गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स वैलफेयर एसोसिएशन (हेवा) के निदेशक, विकास सिंह चौहान का कहना है कि 10 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम (पीएलआई) शुरू होनी चाहिए। आरओडीटीईपी बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए। वित्त मंत्री से आपूर्ति मांग असंतुलन पर दबाव कम करने के लिए सूती धागे पर आयात शुल्क हटाने का अनुरोध है। तैयार माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ समय के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रोत्साहन भी हटना चाहिए। दो सप्ताह के बाद, अक्टूबर जैसी स्थिति होने जा रही है, जब माल ढुलाई और कंटेनर की लागत बहुत अधिक थी। बजट को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के पास वैश्विक शिपिंग लाइन और लार्ज कैप कंटेनर निर्माण इकाई नहीं है। समय आ गया है कि भारत एक वैश्विक शिपिंग लाइन बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। बजट में रोलओवर, एक्सचेंज रेट, स्पॉट बुकिंग, बुकिंग कैंसिलेशन, वेट वेरिएशन आदि के कारण ओवरचार्जिंग को रोकने के लिए कुछ तंत्र की घोषणा किए जाने की भी आवश्यकता है, लगभग सभी निर्यातकों को इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए एक मोटी राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर शुरू हो चुका है, जिसे 2022 में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत ईवी मॉडल के तेजी से विकास के बाद और बढ़ावा मिलेगा। ईवी इंडस्ट्री को आशा है कि सरकार स्थानीय ईवी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने और आसान फाइनेंस की सुविधा के लिए नई पहल की घोषणा करेगी, और एक नया ईवी इकोसिस्टम तैयार होगा। इसके साथ ही, इंडस्ट्री ने ईवी खरीद और किराये पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिए गए कर्ज पर लगने वाले टैक्स को भी कम कर सकता है। ईवीएस को सभी के लिए सुलभ बनाने में जीएसटी में कमी और कर लाभ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार मौजूदा ईवी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए बिजली की कीमतों में सब्सिडी भी दे सकती है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का दौर शुरू हो चुका है, जिसे 2022 में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत ईवी मॉडल के तेजी से विकास के बाद और बढ़ावा मिलेगा। ईवी इंडस्ट्री को आशा है कि सरकार स्थानीय ईवी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने और आसान फाइनेंस की सुविधा के लिए नई पहल की घोषणा करेगी, और एक नया ईवी इकोसिस्टम तैयार होगा। इसके साथ ही, इंडस्ट्री ने ईवी खरीद और किराये पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिए गए कर्ज पर लगने वाले टैक्स को भी कम कर सकता है।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

मेरी कहानी एक

मेरी कहानी एक बन्द किताब की तरह है।जिसने खोला उसने पढा नही।जिसने पढा वो समझा नही।जो समझा आज वो मेरे पास नही, जिंदगी के किसी लम्हे में जब उम्मीद की रोशनी कम पड़ने लगे,तो घबराना नही,याद रखना इस जमीन के किसी कोने में दो हाथ आपकी खुशियो की दुआ मांग रहे हैं। **- श्री मंजू**

प्रजातंत्र के उत्सव

प्रजातंत्र के उत्सव में नेता मंत्री राजा प्रसन्न हैं सभी.. संविधान के घेरे में हो रही हैं बड़ी -बड़ी योजनाओं की घोषणाएं ..ब आम आदमी ग्लेडिएटर की भांति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रहा है संघर्ष झूठ, भ्रष्टाचार, महंगाई, रिश्वत जैसे खूंखार जानवरों से इस आस में कि आएगा कोई स्पार्टकस उसका मसीहा बन अच्छे दिन को लाने।
-आरती कुमारी

खास पाती

नेह सा मन लिए प्यार कि

नेह सा मन लिए प्यार कि चाह में , हम घर से चले तो कहा आ गये तुमको सौपा था मन,सदा के लिए, तुम तो मन को ही मेरे भरमा गए। प्राण! तुमसे ही है मेरे सातो जन्म, हर जन्म का रिश्ता निभाते चले। तुम ख्वाबो के मोती न दो हमे पर, उम्र भर चलेंगे हम एक राह में। चाह. एक तेरी चाह में, प्रेम दीप जला, देह जलती रही, प्राण ही सो गए। तुम सदा रहे मुझमे, प्यास बन कर। जल को भी प्यास क्या बतला गये, दे सको तो साथ दो उम्र भर का, बिन तुम्हारे हम रहेंगे सदा आह में। चाह. रातो की करवटों का, कोई दोष नही, कितनी करवट है, काटी गिने नही। तुमने समझा सदा मेरे मन को, बस यही बात हमको समझा गयी। छोड़ना नही उम्र भर अब तुम्हे, तुम ही जिंदगी का उछाह हो गए। **- आकांक्षा द्विवेदी**

पैदा भयेन अवध मा हम भारत

पैदा भयेन अवध मा हम भारत के पावन भूमि पा सत्य सनातन भयेन उपासक हम करि नयन शहीदन का न जाति धर्म न मजहब देखि बस उनकै गुणगान बखानित है ते वतन के खातिर प्रान दिहिन हम उनकै चरणारज लागित है हैं वीर बहादुर वतन कै जे उनका हम कोटि प्रणाम करि ध्वज सदा उडत रहै नभ मा हम कृष्णा सदा राम सुमिरी। **- कृष्णा प्रवीण शुक्ला**

पूरी भाजी छोड़ दी, छोड़ा तवा

पूरी भाजी छोड़ दी, छोड़ा तवा पुलाव। खायें बच्चे पास्ता ,ले ले कर अब चाव। ले ले कर अब चाव, लुभाता इनको पीजा। इनको नहीं पसंद ,खाद्य अब कोई दूजा। खायेंगे माँ बाप,अगर खुद होकर राजी, खायेगी सन्तान ,भला क्यो पूरी भाजी। **- रमेश शर्मा**

टाट के तार तार मैले

टाट के तार तार मैले कुचैले थेगलों से बुने आशियाने मे ज़िन्दगी की कशमकश ,, मौत को हराने की कवायदे जारी, हाड को गला देने वाले जाड़े मे रात दो बदन एक दूसरे को ढांकने को आतुर सुबह के कोहरे की धुंध अब छंटने लगी , ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े बंटने लगी, सूरज की मेहरबानी टाट से छन छन कर अकड़े हुए जिस्मों पर पड़ने लगी,, बेटे ने लिहाफ़ से किया मुंह बाहर, आज फिर जीत गयी ममता, माँ ने अपना सबकुछ औढाकर लाल को मौत की चादर ओढ़ ली। **- नम्रता सरन सोना**

मैं अपने देश का सबसे ऊँचा स्थान लिख दूँगी जो सरहद पर

मैं अपने देश का सबसे ऊँचा स्थान लिख दूँगी जो सरहद पर खड़े उनका मैं जीवन गान लिख दूँगी मैं लक्ष्मी हूँ हर इक घर की मैं झाँसी वाली रानी हूँ कलम के दम पे दुनिया को भी हिन्दूस्तान लिख दूँगी।
- मनीषा सक्सेना

दुनिया उसकी भी हमारी मानिंद

दुनिया उसकी भी हमारी मानिंद वीरान है क्या, मिलते ही रो देता है यार इतना परेशान है क्या, इस जहाँ -ए -बेईमान से उकता सा गया हूँ मैं, या र'ब इस जहाँ में कोई अहले- ईमान है क्या, जाने कैसे कैसों को जिल्लेइलाही कहना पड़ा, दौर-ए - आज में ज़िंदा रहना आसान है क्या, मुझको तहरीरें-तकदीर की तब्दील करवानी हैं, तेरी घर र'ब के किसी से जान पहचान है क्या, मैं तो शहर भर में कसमें खाता तेरे ईमान की, मगर ये दोस्त तू बता! तू कायमे ईमान है क्या, तहरीरें-तकदीर नसीब का लिखा तब्दील बदलवाना। **- अनिल अनमोल शर्मा**

QUIZ TIME

1) महिला क्रिकेट के सभी प्ररूपों (टेस्ट मैचों, एकदिवसीय मैच तथा टी-20 मैचों) में 3 जुलाई, 2021 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन हैं?
2) वैश्विक स्टार्ट-अप रैकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है?
3) किस अनाज को भारत में भौगोलिक संकतेक टैग प्रदान किया गया है?
4) नैटरैक्स उच्च गति वाला ट्रैक जो एशिया का सबसे अधिक लम्बा तथा विश्व का पाँचवा सबसे लम्बा ट्रैक है, किस शहर में निर्मित किया गया है?
5) किसने स्वयं को खादी प्राकृतिक पेन्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) मिताली राज (2) 20वें (3) [illegible] काला नमक चावल [illegible] (4) इंदौर ([illegible]) (5) नितिन गडकरी

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1528 - मुग़ल साम्राज्य वंश के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा साँगा को हराकर चंदेरी के क़िले पर कब्ज़ा किया।1780 - भारत का पहला अंग्रेजी अखबार 'हिक्की गजट' या 'बंगाल गजट' प्रकाशित हुआ। 1916 - 'प्रथम विश्व युद्ध' में फ़्रांस पर जर्मनी ने पहली बार हमला किया। 1939 - रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई। 1949 - ब्रिटेन ने इज़रायल को मान्यता दी। 1966 - अमेरिका के उत्तर- पूर्वी भाग में बर्फीले तूफान से 165 लोगों की मौत। 1970 - प्रसिद्ध निशानेबाज एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म। 1976 - सोवियत संघ और अंगोला राजनीतिक समझौते के लिए सहमत हुए। 1978 - वायुमंडल की ओजोन परत पर होने वाले दुष्प्रभाव के कारण एयरोसोल स्प्रे को प्रतिबंधित करने वाला स्वीडन पहला देश बना। 1979 - भारत की पहली जंबो ट्रेन 'दो इंजन वाली' तमिलनाडु एक्सप्रेस को नयी दिल्ली स्टेशन से झंडी दिखाकर चेन्नई के लिए रवाना किया गया। 1988 - यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान बोइंग 747 एसपी ने 36 घंटे 54 मिनट 15 सेकेंड में विश्व का चक्कर लगाया। 1989 - सीरिया और ईरान ने लेबनान में संघर्ष रोकने के लिए समझौता किया। 1992 - भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना। 1993 - क्रिकेट खिलाड़ी विनोद कांबली का टेस्ट में पदार्पण किया। 1994 - केंद्र सरकार ने एयर कार्पोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया। 1996 - फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने घोषणा की थी कि फ्रांस अब और परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा।

शांति दूत बने 15 गांव, 365 दिनों में नहीं हुआ कोई अपराध, पुलिस प्रशासन ने किया सम्मानित

बालोद/गुरुर। बालोद जिले के गुरुर थाने में इस बार का गणतंत्र दिवस, लोगों के सम्मान में मनाया गया। शांति अमन कायम रखने वाले ग्रामीणों को थाना बुलाकर सम्मानित किया गया। गुरुर ब्लॉक में ऐसे 15 गांव चिन्हित किए गए हैं जहां 2021 में एक भी अपराध नहीं हुए और छोटे-मोटे मामलों को गांव में ही सुलझाया गया। गांव को शांति दूत बताते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सम्मानित कर अन्य ग्रामीणों को भी उनसे प्रेरणा लेने की अपील की गई। यह पहल गुरुर थाना के प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी ने की। अपनी तरह का यह पहला आयोजन था। एसपी सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम एवं उप पुलिस अधीक्षक राजेश बागड़े के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गुरूर निरीक्षक दिलेश्वर चन्द्रवंशी के द्वारा थाना परिसर गुरूर मे ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस की पावन पर्व में थाना परिवार गुरूर की तरफ से समस्त नगर एवं ग्राम वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए गणतंत्र दिवस को शांति पूर्ण ढंग से मनाने की अपील की।

इन गांवों में पिछले एक साल में एक भी अपराध नहीं :

टीआई चन्द्रवंशी द्वारा पहली बार अनूठी पहल करते हुए वर्ष 2021 में थाना गुरूर क्षेत्रांतर्गत कुल 123 ग्रामों में से 15 ग्राम आमापानी, भैंसमुड़ी, करियाटोला, मंगचुवा, रूपुटोला, अलौरी, दुग्गाबाहरा, सौहतरा, पोंड, नाहंदा, करेंझर, मुस्केरा, नैकुरा, डोकला, नवागांव, खोरदो में वर्ष 2021 में किसी प्रकार के अपराध घटित नहीं होने पर गांव में शांति व्यवस्था के लिए ग्राम प्रमुखों को थाना परिसर में प्रशस्ति पत्र, श्रीफल, साल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सम्मान किया गया तथा गांव का विकास एवं खुशहाली के लिये शुभकामनाएं दी गई। वहीं गांव के छोटे-छोटे मामूली विवाद को ग्राम स्तर पर निपटाने जोर देकर पुलिस की सहयोग करने की अपील की गई।

इन्हें भी पुलिस ने किया सम्मानित

कार्यक्रम में शामिल गुरूर ब्लॉक के पत्रकारों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी दिलेश्वर चन्द्रवंशी, उप निरीक्षक खगेन्द्र पठारे, चौकी कंवर प्रभारी कैलाशचन्द मरई, सउनि0 होमप्रकाश सलामे प्रआर राजेश टंडन, शिवनंदन दिवाकर, आरक्षक राहुल गजपाल, पुनेश्वर ठाकुर, शेरअली, चंचल भगत, देवेन्द्र साहू, बल्देव मंडावी एवं नगर व ग्रामो से आये ग्राम प्रमुख भूपेश कुमार हिरवानी, विजयेन्द्र ध्रुवे, झाडूराम चन्द्रवंशी, लक्ष्मी गंगबेर, रेणुका गजेन्द्र तथा गुरूर ब्लॉक के पत्रकार सालिक शर्मा, दीपक देवदास, विजय मगेन्द्र तथा अन्य नागरिक गण उपस्थित रहे।

शहीदों को भी किया याद

अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए वीर जवान शहीद स्व तिला राम ठाकर निवासी डोकला, शहीद स्व बेदूराम सूर्यवंशी निवासी कपरमेटा, शहीद स्व किशन लाल साहू निवासी बालोदगहन, शहीद स्व बालकृष्णा मरकाम निवासी मुजालगोंदी, एवं शहीद स्व व्यासनारायण विश्वकर्मा निवासी भेजाजंगली के गृह ग्राम जाकर शहीदों के परिवार से मुलाकत कर श्रीफल, साल एवं मिठाई भेंट कर सम्मानित किया गया।

जांच में भी साबित हो चुका अतिक्रमण फिर भी नहीं हो रही बेदखली की कार्रवाई

■ 10 दिनों में नहीं हुई कार्रवाई तो साजन बैठेंगे अनशन पर

बालोद/नवप्रदेश। शहर के एक रसूखदार व्यापारी तक अवैध कब्जा किया गया है। शिकायत पर प्रशासन ने जांच भी करवाई जिसमें अतिक्रमण का खुलासा हुआ। बावजूद इसके अब तक जिम्मेदार अफसरों ने बेदखली की कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर युवा कांग्रेस में भारी आक्रोश है। शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष साजन पटेल सहित युकांओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों में अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो अनशन किया जाएगा। युवा कांग्रेस का आरोप है कि शहर के विकास श्रीश्री माल द्वारा कब्जा किया गया है। वह भी अभी से नहीं बल्कि लगभग पांच-छह साल से। लेकिन जांच में प्रमाणित होने के बाद भी अब तक शासन-प्रशासन व्यापारी पर मेहरबानी दिखाए जा रहा है। जिसका विरोध हो रहा है और इसी विरोध के चलते जिला प्रशासन के नाम से एक बार फिर ज्ञापन सौंपकर शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष साजन पटेल सहित उनके साथियों ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। कहा है अगर इस 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण वाली जमीन से बेदखली की कार्यवाही नहीं हुई तो वह अपने साथियों सहित अनशन पर बैठेंगे। इस मामले में पहले भी शिकायत हुई थी जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने जांच की। हमारे पास उपलब्ध दस्तावेजों में स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक झलमला द्वारा जो जांच प्रतिवेदन बनाया गया है जिसमें उक्त जगह को अवैध कब्जा पाया गया है। अतिक्रमण जांच की कार्रवाई 19 जनवरी को हो भी चुकी है और संबंधित व्यक्ति को इसके लिए नोटिस भी दिया गया है। उक्त जगह पर बागवानी और 3600 वर्ग फीट पर पक्का निर्माण करते हुए 0. 468 हेक्टेयर जगह पर अतिक्रमण करना पाया गया है लेकिन हैरानी इस बात की है कि क्या जांच करके कागजों में ही रखने का है, कार्यवाही नहीं होनी है। जांच में अतिक्रमण साबित होने के बाद भी बेदखली नहीं होने से शिकायतकर्ता युवा में जमकर आक्रोश पनप रहा है। जब सब कुछ दस्तावेज तैयार है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं? क्यों अतिक्रमणकारी को और बढ़ावा दिया जा रहा है कि वह जो इतने लंबे समय से अतिक्रमण करके बैठा हुआ था अब आगे जांच के बाद भी बेखौफ अतिक्रमण किए बैठा है। जिसके चलते शहर युवा कांग्रेस द्वारा अपनी ही सत्ता के शासन प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कार्यवाही की मांग की गई है और उनकी मांगे पूरी ना होने पर अनशन की चेतावनी दी गई है।

7 जनवरी को भी कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन

उक्त शासकीय वन क्षेत्र की भूमि पर अनाधिकृत रूप से घेरा डालकर निजी उपयोग करने वाले विकास श्रीश्रीमाल के खिलाफ अतिक्रमण का मामला दर्ज कर एवं शासकीय संपत्ति को अनाधिकृत रूप से उपयोग करने के संबंध में प्रकरण दर्ज कर उचित कार्यवाही करने तथा कब्जा से बेदखल किये जाने को लेकर 7 जनवरी को युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष साजन पटेल के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता साजन पटेल ने कहा कि एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों को जमीन दे रही है लेकिन दूसरी ओर बालोद के उक्त उद्योगपति सरकारी जमीन पर अधिकार जमाए बैठे हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्योगपति की मनमानी नहीं चलेगी। शासन प्रशासन को अवैध कब्जा हटवाना ही पड़ेगा। जब सब कुछ जांच हो गया है तो फिर देरी किस बात की है। अगर 10 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उनकी चेतावनी के बाद एसडीएम ने एक-दो दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

पढ़िए, क्या है पूरा मामला

झ जिला मुख्यालय से लगे ग्राम झलमला स्थित प्रसन्न वाटिका के नाम से विकास श्रीश्रीमाल पिता शंकरलाल निवासी सदर रोड बालोद में विगत कई वर्षो से ग्राम झलमला प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. झलमला के घोटिया चौक निजि वाटिका से लगा हुआ शासकीस वन भूमि खसरा नं. 1233/1 पर तार का घेरा डालकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अपना निजि उपयोग कर रहा है। उक्त अनाधिकृत भूमि पर कई किस्म के वृक्ष भी स्थित है शासन का उद्देश्य है पर्यावरण को साफ सुरक्षित रखने हेतु जंगल के वृक्षों को बचाना है तथा नया वृक्ष लगाना है किंतु इस प्रकार के भू माफिया द्वारा जंगल को बचाने के बजाए उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है। युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष साजन पटेल द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि एक तरफ मुख्यमंत्री गरीब लोगों को जमीन देने का काम कर रहे हैं और एक तरफ बालोद ब्लाक में झलमला स्थित प्रसंन्न वाटिका के नाम से (विकास श्रीश्रीमाल) खसरा क. 1233/1 रकबा 0.48 हे. लगभग लगभग डेढ़ एकड जमीन को कब्जा कर लगभग 5 साल से ज्यादा हो गया है और इसकी शिकायत जब बालोद यूथ कांग्रेस ने की तो जांच में पूरी जमीन पर कब्जा पाया गया और 3600 वर्ग फिट में पक्का मकान भी पाया गया और जिसका पंचनामा व सीमांकन भी हो चुका है। लेकिन कार्रवाई अब तक शून्य है।

> शिकायत पर जांच हुई थी। जिसमें अतिक्रमण पाया गया है। इस पर मैंने एसडीएम से बात की है। उन्होंने बताया है कि अतिक्रमण करने वाले को नोटिस भी जारी किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाया जाएगा।
>
> **अभिषेक दीवान, डिप्टी कलेक्टर**

उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस

■ मंत्री टीएस सिंह देव ने किया ध्वजारोहण, जनता को मुख्यमंत्री का दिया संदेश

कवर्धा/नवप्रदेश। कवर्धा जिला मुख्यालय के पी.जी.कॉलेज मैदान में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यक कर (जीएसटी) एवं कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रीय गान एवं पुलिस जवानों की बैंड के राष्ट्रगान के धुन पर राष्ट्रीय सलामी दी गई। मुख्य अतिथि द्वारा जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। मुख्य अतिथि ने शांति के प्रतीक सफेद कबूतर और उल्लास के प्रतिक रंगबिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े। इस अवसर पर सशस्त्र प्लाटून, जिला पुलिस बल एवं नगर सेना के होमगार्ड के जवानों ने मुख्य अतिथि को सलामी दी। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष समारोह में विशेष सावधानी बरती गई तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। मंच पर मुख्य अतिथि के साथ कलेक्टर रमेश शर्मा और पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला भट्ट, नीलकंठ चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष ऋ षि शर्मा, उपाध्यक्ष जमील खान, कलीम खान, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी दिनेश चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष विरेन्द्र साहू, कन्हैया अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य तुकाराम चंद्रवंशी, सनत जायसवाल, पंकज रामकुमार भट्ट, सिंह, आशीष अवस्थी, पार्षद अशोक सिंह, मोहित महेश्वरी, भीखम कोसले, सुनील साहू, कन्नू सोनी, प्रशांत परिहार, राजेश शुक्ला, काशीनाथ सिंह सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी चुनामणी सिंह, अपर कलेक्टर बीएस उइके, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के निज सहायक कीर्तन शुक्ला, एएसपी मनीषा रावटे, संयुक्त कलेक्टर सुश्री दिप्ती गोते, डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा, एसडीएम विनय सोनी एवं मीडिया प्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित थे।

जिंदा पेंगोलिन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, ग्राहक की तलाश में था तस्कर

गरियाबंद/नवप्रदेश। गरियाबंद पुलिस ने वन्यजीव पेंगोलिन (सालखपरी) की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वन्यजीव को बेचने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी के पास से बरामद पेंगोलिन का वजन 10 किलो 300 ग्राम है, जिसकी कीमत पांच लाख रुपए बताई जा रही है। मामला गरियाबंद जिले के थाना पीपरछेड़ी का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 9, 39 (ख) 52 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

पुलिस अधीक्षक जेआर ठाकुर ने प्रेसवार्ता में बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक संदिग्ध रूप से जो कि ओडिसा से भौदी की ओर सीजी 23 एच 9247 डीलक्स में घूम रहा है। इसकी सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर, एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन पर थाना स्टाफ एवं स्पेशल टीम गठित कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर ग्राम गोड़लबाय नाला के पास मुखबिर के बताए गए हुलिया व मोटर सायकल क्रमांक के आधार पर घेराबंदी कर पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम तरुण ठाकुर 25 वर्ष ग्राम रसेला थाना छुरा का रहने वाला बताया। उक्त युवक अपने पास जुट की बोरी रखा हुआ था, जिसे लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो टाल मटोल करने लगा। जिसे गवाहों के समक्ष जुट की बारी को खोलकर देखने से एक नग जिंदा पेंगोलिन (सालखपरी) रखा हुआ था। प्रकरण में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि उक्त वन्यजीव पेंगोलिन का नापतोल करने पर 10 किलो 300 ग्राम कीमत पांच लाख रुपए एवं मोटर सायकल डीलक्स कीमत 30 हजार रुपए पांच लाख 30 हजार रुपए जप्त किया गया। प्रेसवार्ता के दौरान डीएसपी निशा सिन्हा भी उपस्थित थी। उक्त कार्यवाही में थाना पीपरछेड़ी उप निरीक्षक सुमनलाल पोया, लाखेश्वर निषाद, स्पेशल टीम के अंगद राव, चूड़ामणी देवता, सुशील पाठक, यादराम ध्रुव, जयप्रकाश मिश्रा, रवि सिन्हा, हरीश साहू, अनिल अनंत, परमेश्वर नेताम, राजेश मरकाम का सराहनीय योगदान रहा।

देवर की शादी में पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी विवाहिता, ससुर ने पीठ में मारी गोली, 3 गिरफ्तार

कवर्धा/नवप्रदेश। कवर्धा में 21 जनवरी की रात महिला की गोली मारकर हत्या करने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतिका के ससुर ने ही गोली मारी थी। दरअसल, महिला अपने देवर की शादी में पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। इस बात को लेकर उसके ससुर ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मृतिका की सास व उसके पति को भी गिरफ्तार किया है। मामला कुकूदर थाना क्षेत्र का है। इस मामले में आरोपी ससुर ने ही थाने में शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी को सनकपाट निवासी आरोपी दाऊलाल काठले पिता कुटालू 55 साल ने कुकदूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मेरी बहु मृत हालत में अपने कमरे के बेड रूम में पड़ी है, उसके पेट से मास निकला है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची। घटनास्थल पर पहुंच कर जांच शुरू की। मृतिका सरिता का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया तथा मृतिका के पलंग के पास देसी कट्टा भी मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसपी डॉ लाल उमेद सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया

नरेंद्र बेताल, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल कौशल किशोर वासनिक एवं साइबर सेल टीम, डॉग स्क्वायड़ टीम को घटनास्थल रवाना किया गया तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी दुर्ग यूनिट को बुलाया गया। उक्त टीम के द्वारा घटना स्थल निरीक्षण शव पंचनामा कार्यवाही के दौरान मामला देशी कट्टा से मारकर मृतिका का हत्या करना तथा घटनास्थल पर देसी कट्टा भी पाया गया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पूछताछ पर पता चला कि मृतिका के देवर की शादी होने वाली है जिसके शादी में लगने वाले सामान व खर्च का वहन मृतिका नहीं करना चाहती थी व अलग होना चाहती थी। मृतिका कपड़ा सिलाई का काम कर धन अर्जित करती थी तो घर में अपना हर कार्य अपने अनुसार करवाना चाहती थी। इसकी वजह से मृतिका का पति गोलू उर्फ विजय काठले के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने की नियत से देशी कट्टा को बिलासपुर से खरीद कर लाना और मौका पाकर हत्या करने के लिये अपने माता-पिता बाप को देशी कट्टा को रखवाया था। 21 जनवरी को मृतिका का विवाद अपने सास भगवंतिन के साथ होने से मृतिका के ससुर दाऊलाल काठले के द्वारा देशी कट्टा से पीठ में गोली मार कर हत्या करना स्वीकार किया गया है। जिस पर पुलिस टीम के द्वारा आरोपी दाऊलाल काठले पिता कुटालू 55 साल, भगवंतिन बाई पति दाऊलाल 53 साल और गोलू उर्फ विजय काठले पिता दाऊलाल 38 साल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

मंत्री भगत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, हर्षोल्लास से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस

गरियाबंद/नवप्रदेश। जिला मुख्यालय गरियाबंद के पुलिस परेड ग्राउंड में 26 जनवरी 73वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन गरिमामय माहौल में किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति मंत्री तथा गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्य समारोह ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मंच पर कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी एवं पुलिस अधीक्षक जेआर ठाकुर मौजूद थे। तिरंगा फहराने के बाद सभी उपस्थित नागरिकों ने राष्ट्रगान गाया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री भगत ने

जनता के नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश का वाचन किया। मुख्य अतिथि ने खुशहाली के प्रतीक गुब्बारे को आसमान में छोड़ा। समारोह में परेड कमाण्डर रक्षित निरीक्षक उमेश कुमार राय के निर्देशन में मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। मुख्य अतिथि द्वारा प्लाटून कमाण्डर जोहन ध्रुव, यदु राज ठाकुर, स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र-छात्राओं देवशी शर्मा, प्रीति राव कढ़ारे एवं भावेश साहू को गणतंत्र के महत्ता पर अंग्रेजी माध्यम में प्रस्तुति हेतु स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही परेड ग्राउंड मे आकर्षक रंगोली के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजरी गुप्ता को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने शहीद परिवार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष गफ्फार मेमन, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू, जनपद अध्यक्ष लालिमा ठाकुर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाव सिंह साहू, नागरिकगण एवं जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव, डीएफ ओ मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर जेआर चौरसिया एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कलेक्टर परिसर में किया ध्वाजारोहरण

कवर्धा/नवप्रदेश। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर रमेश शर्मा ने जिला कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके पूर्व उन्होंने परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजा-अर्चना कर उन्हें नमन किया। कलेक्टर ने ध्वजारोहण के बाद जिला अधिकारियों-कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश भक्ति की जजबा हर किसी के दिल में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक के रूप में देश की क्या अपेक्षाएं है, इसके लिए सभी को भारतीय नागरिक होने के नाते अपने कार्यो और दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और ईमानदारी से करना चाहिए।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना साक्षात्कार 1 फरवरी को

कवर्धा/नवप्रदेश। कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2021-22 अंतर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की दूसरी बैठक 1 फरवरी को सुबह 11 बजे कलेक्टोरेट कार्यालय में आयोजित किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने वाले हितग्राहियों का साक्षात्कार लिया जाएगा एवं साक्षात्कार उपरांत अनुमोदित प्रकरण स्वीकृति के लिए संबंधित बैंकों को प्रेषित किए जाएंगे। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि ऐसे समस्त हितग्राही जिन्होंने वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है वे संक्रमण से बचाव हेतु साधनों के साथ 1 फरवरी को सुबह 10.30 बजे तक कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कबीरधाम में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होकर अपना नाम दर्ज करा सकते।

30 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित

कवर्धा/नवप्रदेश। महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर 30 जनवरीदिन रविवार को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवस को जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, व्यवसायिक क्लब बार तथा मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर रमेश शर्मा ने आबकारी अमले को उक्त शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारन तथा तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखने कहा है। शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही किया जाएगा।

नगर पंचायत द्वारा हटाया गया अतिक्रमण

पिथौरा/नवप्रदेश। बार चौक थाने के बाजू में स्थित नगर पंचायत पिथौरा का कांजी हाउस जो कि वर्षों से अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका था । जिसके बाद प्रशासन अमला सक्रियता का परिचय देते हुए तत्काल कांजी हाउस स्थल पर पहुंच अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कांजी हाउस पर विगत कई वर्षों से प्रमोद सिंह का कब्जा रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस पत्राचार किया जा रहा था नगर पंचायत पिथौरा सीएमओ महेंद्र गुप्ता ने कहा लगातार नोटिस व समय दिया जा रहा था लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके चलते अतिक्रमण जेसीबी से तोड़ने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार पिथौरा ने कहा भूमि शासकीय है संयुक्त टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। जनपद अध्यक्ष कसडोल गौरी देवी ने कहा हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। नगर पंचायत हमारे साथ गलत कर रही है हमारा 18-19 साल से उस जमीन पर हमारा कब्जा रहा है।

बेटी कुदरत का अनुपम उपहार : स्वयं सेवक

खरोरा/नवप्रदेश। राष्ट्रीय सेवा योजना स्व रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय खरोरा के स्वयं सेवकों ने गोदग्राम केसला में 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' के अवसर पर कुदरत का अनुपम उपहार बेटी की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान करने संबंधी नारों का वाचन और दीवार लेखन कर लोगों को जागरूक किया। कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण आदि विषयों पर भी नजरिया बदलने जागरूक किया गया। स्वयं सेवकों ने इस अवसर पर प्राथमिक शाला केसला के आसपास, पंचायत भवन, महाविद्यालय परिसर खरोरा की साफ-सफाई कर स्वच्छता का भी संदेश दिया। उक्त कार्यक्रम में डिगेश्वर, तामेश्वर, केतन, रामकुमार, योगेश, रोहित, हर्ष, देविका, दुर्गेश्वरी, आकांक्षा, त्रिवेणी, आंचल, मोना, पूजा, अनीशा, खुशबू आदि स्वयं सेवक उपस्थित थे।

खाद्य मंत्री भगत ने किया प्रदेश पत्रकार यूनियन जिला इकाई कार्यालय का उद्घाटन

गरियाबंद/नवप्रदेश। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री व जिला गरियाबंद के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने ध्वजारोहण एवं भूतेश्वर नाथ के दर्शन के पश्चात गरियाबंद गांधी मैदान स्थित प्रदेश पत्रकार यूनियन के नवीन जिला कार्यालय का शुभारंभ किया और संघ के सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन व विशेष अतिथि जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू, प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष जनक राम ध्रुव, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटक्के, एल्डरमैन हरीश ठक्कर, महिला कमांडो जिला अध्यक्ष कुलेश्वरी कुलदीप, गिरीश पार्षद व जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री नादिर कुरैशी, कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष अवधराम यादव, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अमित मिरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सोनवानी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भगत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। वास्तव में समाचार और पत्रकारिता देश, प्रदेश के विकास में एक अलग महत्व रखता है। समाचार का देश की आजादी में अहम भूमिका रहा है, पहले दूरसंचार के साधन नहीं थे। उस समय भी पत्रकारिता अपना महत्व

स्थापित किए थे। विचारों का लोगों में प्रचार व संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाना, पत्रकारों द्वारा हर विषम परिस्थितियों में ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं। गांधी जी जैसे नेता इस देश के निर्माता जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। वे भी लेख और समाचार लिखते थे पहले और आज के पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पत्रकार आज भी अपना कार्य बखूबी निभा रहे है।

अतिथियों का सम्मान चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया गया

कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा, जीवन एस साहू, ज्ञानेश तिवारी, नंदू फूलझले, राधेश्याम सोनवानी, महिला पत्रकार दीपिका बराई, जिला उपाध्यक्ष ऋतुसोम, सागर मयाणी, फरहाज मेमन, महेंद्र सहिस, विजय सिन्हा, रितेश यादव, नीतीश सिन्हा, रमेश देवदास, खेलन महिलांगे, मोती राम पटेल, राकेश देवांगन, हैरी साहू, यूनियन वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रोशन लाल अवस्थी, जिला संरक्षक श्रवण सतप्पति, जिला महासचिव हेमंत तिवारी, प्रकाश यादव प्रदेश कार्यकारिणी, संभाग अध्यक्ष टेकलाल प्रधान, जिला मीडिया प्रभारी परमेश्वर कुमार, आदित्य बेहरा ब्लाक अध्यक्ष देवभाग, त्रिलोकी तिवारी ब्लॉक अध्यक्ष मैनपुर, परमेश्वर राजपूत ब्लॉक अध्यक्ष छुरा, किरण साहू ब्लाक अध्यक्ष फिंगेश्वर, प्रतीक बेहरा संभाग महासचिव, सदस्य, छत्र पाल सिंह जिला सचिव, तेजस्वी यादव कोर कमेटी सदस्य, मेश्नंदन पांडेय ब्लाक उपाध्यक्ष छुरा,लक्ष्मण कश्यप ब्लाक उपाध्यक्ष फिंगेश्वर, विकाश ध्रुव सचिव छुरा,विष्णु नेताम ब्लाक संरक्षक गरियाबंद,पन्नू नेताम ,लक्ष्मण साहू ब्लाक मीडिया प्रभारी गरियाबंद , देशबंधु नेताम, तेनसिंह मारकर, कुंजबिहारी मरकाम, मैनपुर संरक्षक रविशंकर बघेल, योगेस्वर डहरे, इमरान खान छुरा, विक्रम नागेश अमलिपदर, जिला सहसचिव गौतम साहू आदि उपस्थित थे।

शंकर नगर में असामाजिक तत्व कर रहे नशे का अवैध कारोबार

■ **एल्डरमैन कृष्णा देवांगन ने की कार्यवाही की मांग, एसपी को सौंपा ज्ञापन**

दुर्ग/नवप्रदेश। शंकर नगर क्षेत्र में कई महीनों से असामाजिक तत्वों द्वारा न केवल नशीले पदार्थों का व्यवसाय किया जा रहा है, अपितु नशे का सेवन कर क्षेत्र में दहशत का माहौल भी पैदा किया जा रहा है। एल्डरमैन कृष्णा देवांगन एवं शहर कांग्रेस के संयुक्त सचिव लालाराम चौहान ने एसपी व मोहन नगर थाना प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपकर ऐसे तत्वों पर कार्यवाही की मांग की गई है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि शंकर नगर वार्ड क्रमांक 10 में पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल के पास व गौरा गौरी प्रकाश किराना स्टोर्स के पास नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यह काम रात्रि 9 बजे से प्रारम्भ होकर देर रात्रि 1 बजे तक चलता है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहा है और वे गाली-गलौच व हुड़दंग करते हैं। इससे आसपास के नागरिक खासे परेशान हैं। आरोप लगाया गया है कि असामाजिक तत्वों को ऐसा करने से मना करने पर वे हथियार लेकर दादागिरी करते हैं, जिससे क्षेत्र के नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे है। एल्डरमैन कृष्णा देवांगन व लालाराम चौहान ने बताया कि इन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन मोहल्ले में चाकूबाजी और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कुछ समय पहले उन्होंने पुलिस के चीता स्क्वाड के सिपाही पर भी प्राणघातक हमला किया था। उसके बाद क्षेत्र में एक युवक की हत्या भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे तत्वों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वार्ड के नागरिक थाने का घेराव और धरना-प्रदर्शन आदि करने पर बाध्य होंगे। शिकायत करने वालों में प्रकाश मिश्रा, दिनेश ताम्रकार, राजू मिश्रा, निशीकांत मिश्रा, सूरज यादव, धनसिंग चंद्राकर, सुरेश शर्मा, कमल देवांगन, रामकृष्ण देवांगन, विजय राजपूत, संदीप रायकोपंड, सोनू यादव, हितेश साठिया, राजू शर्मा, सुशील साहू, राजू सिंह राजपूत, महेश पटेल, शिव रायकोपंड, गोलू चौहान, स्वाति ताम्रकार, नीलू चंद्राकर, रेखा चंद्राकर, कल्याणी सोनी, गोरेलाल सोनी, माया सिंह राजपूत, ज्योति राजपूत, अंजू मिश्रा, संगीता मिश्रा, संतोष मिश्रा, धनेश्वरी देवांगन, लीलाबाई देवांगन, रामदुलारी राजपूत, मान्यता राजपूत, रेणु यादव, भानुमति यादव, मालती यादव, अशोक शर्मा, संजय सिंह राजपूत समेत अन्य लोग शामिल हैं।

कोविड एवं टीबी संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए दिया गया प्रशिक्षण

■ **3 लाख लोगों में जागरूकता लाने का किया जाएगा प्रयास**

राजनांदगांव/नवप्रदेश। कोरोना और टीबी के संक्रमण को तोड़ने के लिए पिरामल स्वास्थ्य के द्वारा कम्युनिटी मोबिलाइजर और पैरामेडिकल व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक को एएनएम महिला प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव में प्रशिक्षण दिया गया। आश्वासन अभियान के अंतर्गत जन जागरुकता के लिए विभिन्न प्रेरक आयोजन किए जाएंगे जिसमें 100 दिन, 100 जिले का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना व टीबी रोग के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी प्रयासों की कड़ी में प्रशिक्षण की शुरुआत राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी की अध्यक्षता में की गई। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी ने कहा, वर्तमान वातावरण में कोविड एवं टीबी के संक्रमण की कड़ी को तोड़ना बेहद आवश्यक है। जिले के क्षेत्रों में भी आप सभी लोग समुदाय में अभियान के दौरान कोरोना अनुरूप व्यवहार का पालन कराएं। राज्य स्तर अधिकारी

पवन कुमार दुबे ने कहा, यह अभियान 100 दिन तक 100 जिलों में चलाया जाएगा जिससे 3 लाख लोगों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। यह अभियान राजनांदगांव जिले के जनजातीय बाहुल्य 5 विकासखंड मानपुर, मोहला, छुरिया, अंबागढ़ चौकी और डोंगरगढ़ में चलाया जाएगा, ताकि लोगों में कोविड वैक्सीन के प्रति गलत धारणाओं या भ्रांतियों को दूर किया जा सके। आमजन को कोविड अनूकूल व्यवहार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।

घर पर ही होगी टीबी रोग की जांच

राज्य अधिकारी फैजल रजा ने बताया, अभियान से गांव स्तर पर टीबी के संभावित मरीजो को सक्रिय खोज, लक्षणों के आधार पर बलगम की जांच करवाई जाएगी और रोग की पुष्टि होने पर सरकार द्वारा निर्धारित निःशुल्क टीबी का उपचार प्रदान किया जाएगा, ताकि टीबी जैसे संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सके। लोगों को जांच के लिए शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उनके घरों से ही जांच के लिए खंखार परीक्षण के लिए परिवहन किया जाएगा। सामुदायिक से सहभगिता के पहलू को दृष्टिगत रखते हुए अभियान के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्यों, प्रभावशाली लोगों व परंपरागत वैद्यों की भी सहायता ली जाएगी, ताकि गांव को टीबी मुक्त किया जा सके। यूएसएड द्वारा वित्तपोषित परियोजना को पिरामल स्वास्थ्य संस्था द्वारा जिले में सम्बंधित बिभाग की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा।

हार से निराश न होकर जीत के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए : योगेश

बेमेतरा/नवप्रदेश। बेरला ब्लाक के ग्राम देवसरा में ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह किसान नेता योगेश तिवारी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान किसान नेता ने विजेताओं को पुरस्कार बांटे। विजेता टीम को 10 हजार रुपए, उपविजेता टीम को 5 हजार एवं तृतीय पुरस्कार 2500 रुपए दिया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे गए। फाइनल मैच ग्राम अकोला और धरसीवा के बीच खेला गया। जिसमें अकोला के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए धरसीवा टीम को शिकस्त दी। इस दौरान किसान नेता योगेश तिवारी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से अनुशासन और आपसी भाईचारा की भावना बढ़ती हैं। खेल मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक हैं।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल बेहद जरूरी हैं। खेल में हार जीत लगी रहती है, इसलिए हार से निराश न होकर जीत के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। खेल में निरंतर अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों में खेल की भावना निखरती हैं। खिलाडी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत और संघर्ष करता हैं। इसी तरह जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत और संघर्ष करने पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस दौरान जनपद सदस्य पुजा टिकरिहा, भक्तु भैया, अकोली संरपच पारख परगनहीया, संरपच डिलेशवरी वर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष सोनी, लखन चक्रधारी, सचिन शर्मा, राजा साहू, गजेन्द्र चक्रधारी, तरुण चक्रधारी, गोपी निषाद, विकास वर्मा, ओमप्रकाश, उमेश यादव, संजू शर्मा, उमेश शर्मा, ढलसिंह चक्रधारी, चिंताराम, रेखराम आदि उपस्थित थे।

समाज के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा से करेंगे कार्य : आकांक्षा सिंह

कवर्धा/नवप्रदेश। सहसपुर लोहारा की रानी आकांक्षा सिंह को अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की जिला प्रभारी कबीरधाम (महिला प्रभाग) बनाया गया। रानी आकांक्षा ने सामाजिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। कारोना काल के समय बहुत से लोगों को मदद भी पहुंचाई है। आकांक्षा को अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की जिला प्रभारी कबीरधाम (महिला प्रभाग) बनाये जाने से शुभ चिंतकों ने बधाई दी इसके साथ ही आकांक्षा सिंह ने कहा कि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करते हुए समाज के लोगों आगे बढ़ने प्रयास करेंगी तथा समाज के हर वर्ग के लोगों की वे यथा संभव मदद भी करेंगी।

अधिवक्ता सुकृत साहू ने किया ध्वजा रोहण

भाटापारा/नवप्रदेश। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी चौक में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण उपरांत मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता सुकृत साहू ने कहा कि भारत का संविधान छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब सबके लिये एक समान है। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान देकर हमें समानता का अधिकार दिया है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना चाहिए और हर अन्याय का विरोध करना चाहिए। अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी भंवर सिंह साहू, बाबूलाल अग्रवाल एवं क्रांति सेना के प्रदेश सचिव चंद्रकांत यदु ने भी संबोधित किया। झण्डारोहण के दौरान बलराम ठाकुर, पूर्व पार्षद लुकु साव, क्रांति सेना के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सेन, संजय वर्मा, अजय अमृतांशु, अशोक साहू, मनोज ध्रुव, मन्ना साहू, महेश यादव, रग्घु साहू, रामकुमार आदि सहित क्रांति सेना के सेनानी काफी संख्या में उपस्थित थे।

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस

भाटापारा/नवप्रदेश। शासकीय प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल बिजराडीह में संयुक्त रूप से गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण महेश शर्मा प्रधान पाठक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर तीनों विद्यालय के सभी बच्चे, शिक्षकगण, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य गण, ग्राम पंचायत के सदस्य गण के अलावा टेकसिंह ध्रुव, सरपंच विद्या ध्रुव, कृष्ण कुमार, घनश्याम यदु, नरसिंह, पंच परस यदु, जीतराम वर्मा, धिरेन्द्र सिसोदिया, प्रभारी प्राचार्य दर्शन ठाकुर, ऋतु तम्बोली, राजेश साहू, मोहित दास मानिकपुरी, रामदास डहरिया, रजेश्वरी ठाकुर, मीना बंजारे, राज कुमारी साहू, कविता साहू, अनिरुद्ध लहरे आदि उपस्थित थे।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

मुख्यमंत्री भूपेश की ...

स्थानीय विधायक भी कांग्रेस का ही है। दुर्ग निगम महापौर का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था, इसलिए दुर्ग के विधायक अरूण वोरा ने इसी वर्ग के व अपने कट्टर समर्थक धीरज बाकलीवाल को महापौर बनवाया। किन्तु महापौर बनने के बाद धीरज बाकलीवाल आम जनता को छोड़ ही दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपेक्षाओं पर भी खरे नहीं उतर पाए। दो साल पहले जनवरी के प्रारम्भ में जब महापौर व उनकी परिषद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तब सीएम बघेल ने नई परिषद से यह अपेक्षा भरे मंच से की थी कि आवारा मवेशियों व कुत्तों को नियंत्रित कर शहरवासियों को राहत पहुंचाएं। इसके लिए उन्होंने एक माह का वक्त भी दिया था। दो साल से ज्यादा वक्त बीत गया, किन्तु महापौर और उनकी परिषद उस एक माह के लक्ष्य को अब तक पूरा नहीं कर पाई है। आवारा मवेशियों ने जहां गली-मोहल्लों में आम नागरिकों का जीना दुश्वार कर दिया है, वहीं आवारा कुत्तों की फौज रोजाना लोगों, खासकर बच्चों को अपना शिकार बना रही है। हालांकि निगम सूत्रों का दावा है कि आवारा कुत्तों को बधियाकरण की तैयारियां की जा रही है।

कहां है काऊ...

का माहौल रहता है। इन आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्व में जेवरा सिरसा के पास डाग हाउस बनाया गया था। शहर से आवारा कुत्तों की धरपकड़ कर उन्हें इस डॉग हाउस में रखा जाने लगा, किन्तु कुत्ते वहां से भागकर ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद डॉग हाऊस का अस्तित्व भी खत्म हो गया। दिक्कत यह भी है कि इन आवारा कुत्तों को मारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

अवैध रेत उत्खनन...

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिलती हैं, वहां खनिज विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले से सतत रूप से नियमित रूप से निरीक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में संलिप्त लोगों के विरूद्ध प्रकरण तैयार किए जाए। परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों को जप्त करने की कार्रवाई भी की जाए।

कर्नाटक के पूर्व सीएम ...

कॉलेज के पास महंगे अपार्टमेंट में अपने पति और छह महीने के बच्चे के साथ रह रही थीं। उनके पति भी पेशे से डॉक्टर हैं।

घटनाक्रम से वाकिफएक व्यक्ति ने जानकारी दी कि सौंदर्या की मौत आत्महत्या से हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि हम अभी तक नहीं जानते कि सौंदर्या के इस कदम के पीछे इसका कारण है। हालांकि, अभी तक उनकी मौत की वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग दुर्ग (छ.ग.)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-40

Email id: res.durg@goc.in

ज्ञा.क्र. 245/व.ले.लि./ग्रा.यां.से./2021-22 दुर्ग, दिनांक 25/01/2022

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	DPRC दुर्ग में 02 नग संकाय सदस्य, 01 नग लेखापाल, 02 नग डाटा एंट्री ऑपरेटर आवास निर्माण कार्य। S.T.N.91500	34.57

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी http://eproc.cgstate.gov.in में अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 25/01/2022 से देखी जा सकती है एवं **ऑनलाईन** निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 03.02.2022 तक है।

जी-67196/4

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
// सूचना //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/01/2022

क्रमांक एफ 7-23/2019/32 : राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) एवं (2) के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ उपांतरण करने का अंतिम निर्णय लिया है। अधिनियम की धारा 23-क (2) के अधीन प्रस्तावित उपांतरण के निम्नानुसार प्रारूप को क्षेत्र के सर्वसाधारण के निरीक्षण हेतु अवलोकनार्थ प्रकाशित करता है :-

नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में चेप्टर के खण्ड 18.53.5, 18.6 एवं 18.8 में टी.ओ.डी. में उपांतरण परिशिष्ट- एक, परिशिष्ट-दो, परिशिष्ट-तीन एवं परिशिष्ट-चार (संलग्न)

2/ उक्त प्रस्तावित उपांतरण विकास योजना में टी.ओ.डी. में शामिल करने हेतु।

3/ उपांतरण प्रस्ताव की प्रति मानचित्र सहित आयुक्त, संभाग रायपुर, कलेक्टर जिला रायपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, आयुक्त, नगर निगम रायपुर के कार्यालयों में कार्यालय समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

4/ अतः प्रस्तावित उपांतरण से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से इस सूचना के दो स्थानीय मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में एक दिन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर लिखित आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। आपत्ति तथा सुझाव निम्नलिखित कार्यालयों में शासकीय कार्य दिवसों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं :-

(1) आयुक्त, नगर संभाग, छत्तीसगढ़
(2) कलेक्टर कार्यालय, जिला रायपुर।
(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
(4) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
(5) आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(सी. तिर्की)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

जी-67245/3

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)
अल्पावधि निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण)
निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर के कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार स्नातक सिविल अभियंताओं से निविदा प्रपत्र ए-ए (Form A-a) में निविदाएं दिनांक 10.02.2022 तक कार्यालयीन समय पर केवल रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

स. क्र.	कार्य का नाम/विवरण	निविदा सूचना क्र. एवं दिनांक	कार्य की लागत राशि (रु. लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित)
01	02		03	04
01	गोंदली दांयी तट नहर आर.डी. 0 मी. से 1550 मी. तक का वार्षिक मरम्मत कार्य	06/व.ले.लि./2021-22 बालोद, दिनांक 24.01.2022	5.00	45 दिवस
02	खरखरा फीडर नहर के आर.डी. 28000 मी. से 31000 मी. तक का वार्षिक अनुरक्षण कार्य	07/व.ले.लि./2021-22 बालोद, दिनांक 24.01.2022	9.98	45 दिवस
03	मटियामोती नाला जलाशय का मुख्य नहर के सी.सी. लाईनिंग का वार्षिक मरम्मत कार्य (आर.डी. 6000 मी. से 7230 मी. तक)	08/व.ले.लि./2021-22 बालोद, दिनांक 24.01.2022	10.00	45 दिवस

निविदा के संबंध में सभी आवश्यक शर्तें एवं मापदण्ड उपलब्ध निविदा प्रपत्र में दी गई है। निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नानुसार है -

निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की तिथि :- दिनांक 07.02.2022 कार्यालयीन समय तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 10.02.2022 कार्यालयीन समय तक
निविदा खुलने का दिनांक एवं स्थान :- दिनांक 11.02.2022 सुबह 11.00 बजे से कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद

इच्छुक निविदाकार आवेदन पत्र के साथ बेरोजगार स्नातक सिविल अभियंता का वैद्य पंजीयन, जी.एस.टी. पंजीयन, पैन कार्ड एवं मूल पुस्तिका प्रस्तुत कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक निविदाकार को एक ही कार्य की निविदा प्रपत्र प्रदाय किया जायेगा। **निविदा से संबंधित सभी आवश्यक शर्तें एवं मापदण्ड निविदा प्रपत्र में दी गई है।**

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग बालोद
जिला- बालोद (छ.ग.)

जी-67182/3

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा मीनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नं. 74 सरोरा रोड उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे, फोन : 0771-4035602, डाक पंजीयन क्रमांक CG/RYP/DN/ 40/2019-2021

प्रभारी मंत्री पटेल ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में उल्लास भरे वातावरण में फहराया तिरंगा

■ **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीदों के परिजनों का किया सम्मान**

भाटापारा/नवप्रदेश। गणतंत्र दिवस समारोह जिले में अत्यंत हर्ष एवं उल्लास भरे वातावरण में मनाया गया। स्पोर्टस स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने तिरंगा फ हराया। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियां एवं भावी कार्य-योजनाओं की जानकारी दी। श्री पटेल ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों का कुशलक्षेम पूछते हुये शाल एवं श्रीफ ल भेंटकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि पटेल ने कोरोना नियंत्रण एवं शासकीय योजनाओं में बेहतरीन कार्यों के लिए डेढ़ दर्जन शासकीय कर्मियों का भी जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद गुहाराम अजगले,संसदीय सचिव एवं विधायक शकुंतला साहू, विधायक प्रमोद कुमार शर्मा,छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा,पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, श्रम कल्याण बोर्ड सदस्य सतीश अग्रवाल, अनुसचित जनजाति आयोग के सदस्य गणेश ध्रुव, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा, नगर

पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल, पूर्व विधायक जनकराम वर्मा, जिला अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर सहित कलेक्टर डोमन सिंह, एसपी दीपक झा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। स्पोर्टस स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह सवेरे 9 बजे मुख्य अतिथि श्री पटेल द्वारा झण्डा फहराने के साथ शुरू हुआ। इस साल कोविड संक्रमण को देखते हुए समारोह को सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। झांकी प्रदर्शन और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को टाल दिए जाने के कारण मुख्य समारोह लगभग एक घण्टे में सम्पन्न हो गया। जिला पुलिस बल की दो टुकड़िया, जिला महिला पुलिस बल एवं नगर सेना की टुकड़ियों ने झण्डे एवं अतिथि को शानदार सलामी दी। परेड का नेतृत्व आरआई विक्रम बघेल ने किया। समारोह में हर्ष और उल्लास के प्रतीक के रूप में रंगीन गुब्बारे आसमान में उड़ाये गये। मंत्री ने जिलें के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन लक्ष्मी ठाकुर, सावित्री सोनी, वीर शहीद उपनिरीक्षक विवेक शुक्ला, युगल किशोर वर्मा, ट्रेड आर नंदकुमार साहू, आर हुमेश्वर प्रसाद कुर्रे, हीरा लाल गायकवाड़, संतराम साहू, धनंजय वर्मा, संतोष ध्रुव, मिथिलेश कुमार, टेकराम वर्मा एवं कोविड से डोगेन्द्र वर्मा के परिजनों का श्रीफल एवं साल से सम्मान कर उनका हाल चाल जाना। इसके साथ ही मंत्री श्री पटेल ने मुख्य मंच से करीब 18 अधिकारी-कर्मचारियों का उनके बेहतर सेवा के लिए जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया।

विधायक चंद्राकर ने किया ध्वजारोहण, कोरोना वारियर्स को प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया सम्मान

बेमेतरा/नवप्रदेश। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जिला मुख्यालय बेमेतरा सहित पूरे जिलें में उत्साह एवं गरिमामय वातावरण मे मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पण्डरिया ममता चंद्राकर ने मुख्य समारोह स्थल स्थानीय बेसिक स्कूल ग्राउण्ड मे ध्वजारोहण कर सलामी ली। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश की जनता के नाम दिए संदेश का वाचन किया। उत्साह उमंग के प्रतीक रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश मे उड़ाये। इस मौके पर कोरोना वायरस कोविड-19 के अंतर्गत कोरोना वारियर्स एवं उत्कृष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र वितरित किये। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान मे रखते हुए स्कूली बच्चों का

सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखा गया था। परेड कमाण्डर रक्षित निरीक्षक संजय सुर्यवंशी ने सम्मान गार्ड का नेतृत्व किया। समारोह में विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा, कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान, पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, जिला पंचायत सीईओ लीना मंडावी, एएसपी पंकज पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष बेमेतरा शकुंतला साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, नगर के गणमान्य नागरिक, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिला प्रतिनिधि सहित नगरवासी उपस्थित थे।

डबल स्नातक को पदोन्नति हेतु मान्य कर वरिष्ठता सूची बनाने की मांग

कवर्धा/नवप्रदेश। वर्तमान में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है। इसमें कई विसंगतियां भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ पदोन्नति प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की मांग लगातार करते आ रही है। साथ ही संघ ब्लाक से लेकर राज्य स्तर तक उक्त समस्या के निराकरण के लिए प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा कर समस्या निराकरण की मांग की जा रही है। लेकिन पूर्ण रूप से समस्या दूर नहीं हो पा रही है। जिले के कई सहायक शिक्षकों ने विभाग से विधिवत अनुमति लेकर दो बार स्नातक किया है। इसको सर्विस बुक में जोड़ा भी गया है। लेकिन उनके डबल स्नातक को वरिष्ठता सूची में शामिल नही किया जा रहा है। जबकि रायपुर व सरगुजा संभाग के अलावा दुर्ग संभाग के ही अन्य जिलों में डबल स्नातक वाले शिक्षकों को वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया है। संघ के ब्लाक अध्यक्षगण मोहन राजपूत, संजय जायसवाल, अमित मिश्रा व राकेश जोशी ने बताया कि यूसीजी के नियम के मुताबिक डबल स्नातक किया जा सकता है। कबीरधाम जिले में डबल स्नातक को मान्य नहीं किए जाने को लेकर शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। डबल स्नातक को मान्य नहीं करने के चलते कई शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे। एक ही संभाग, एक ही राज्य में पदोन्नति प्रक्रिया में एकरूपता नहीं होना समझ से परे है।

किसान नेता योगेश तिवारी ने ध्वजारोहण कर दी सलामी

बेमेतरा/नवप्रदेश। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर किसान नेता योगेश तिवारी ने अपने कार्यस्थल में और अपने गृहग्राम में ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान गाया। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी 1950 में इस दिन संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। वहीं, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया और हमारा संविधान का लोहा पुरी दुनिया मानता हैं। हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन हैं। उसके बाद गांव में खेल और बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को मिठाई का

वितरण कर सभी लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाई और एक दुसरे को बधाइयां दी। इस अवसर पर प्रमुख लोगों में कल्पना योगेश तिवारी, मनोज बंजारे, सुमीत निषाद, अतुल निषाद, परदेशी यादव, सन्तोषी यादव, चन्द्रिका यादव, खिलेशवरी निषाद, नर्मदा सेन, एमीन निषाद, गायत्री निषाद, कुमारी यादव, मनोज सिन्हा, कुमारी बंजारे, सन्तोष तिवारी, वेद सिंह, महंतोंजी कलयाणी यादव, अभिषेक शर्मा, मनोज सिन्हा सहित प्रमुख लोग उपस्थित थे।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर 12 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी हुए सम्मानित

भाटापारा/नवप्रदेश। जिला मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस पर्व के अवसर पर जिले के 12 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए मुख्य अतिथि मंत्री उमेश पटेल द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसमें सहायक उप निरीक्षक ईश्वर टोप्पो,

नेतराम वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक (एम) मनीष चौबे, अश्वनी विशाल, महिला आरक्षक स्वाति साहू, आरक्षक अभिनव चौबे, टिकेश्वर साहू, गुलशन वर्मा, गुमान सिंह जायसवाल, नरोत्तम पटेल, आकाश शर्मा एवं बबलू राजा कौशिक को सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर पुलिसिंग कर सदैव अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

संयुक्त जिला कार्यालय में कलेक्टर ने किया ध्वाजारोहण

बेमेतरा/नवप्रदेश। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त जिला कार्यालय भवन (कलेक्टोरेट में) कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान ने ध्वाजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों को संवैधानिक दायित्वों के प्रति सजग होकर कार्य करने की अपील की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

NAME CHANGE

I **Sevki Devi D/o Latora Pal** R/o 15, Gram Khaddi, Post Khaddi, Chhatarpur, Madhya Pradesh 471515, have changed my name Shall hereafter be known as Seva Pal.

SEVA PAL

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक 202111101000080
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2021-22
ढोर प.ह.नं. 00017(हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - ईश्वरी,
अनावेदक पक्षकार -

ज्ञापन

हल्का पटवारी ग्राम ढौर विषय जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत् ।

आवेदक- ईश्वरी पिता श्री लीलकराम पता-ढौर द्वारा ग्राम ढोर प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 527/2 का टु. रकबा 0.66 हे. आवेदक एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। ख.नं. 605/1 रकबा 0.13 हे. दर्ज है इस प्रकार बैनामा के अनुसार 0.53 हे. भूमि अंकित है भूमि 0.17 हे. ख.नं. 575 का रकबा है जिसे सुधार दर्ज किए जाने बाबत आवेदन पत्र मय खसरा बी-1 की छाया की प्रति प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में आप जांच कर जांच प्रतिवेदन पेशी दिनांक 11/02/2022 के पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें।

यह ज्ञापन मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 24/01/2022 को जारी किया जाता हैं।

सील — **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 319/21-22
वार्ड का नाम- रानी लक्ष्मीबाई-10

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई 10 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ कृष्णा अपार्टमेंट डी/04 मोवा I/D/576/R जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती नौशी रिजवी पति सैय्यद सरताज हुसैन के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती रूबिना खान पति मोहम्मद मोहिद खान रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 28/1/22 — **जोन आयुक्त जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 320/21-22
वार्ड का नाम- रानी लक्ष्मीबाई-10

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई 10 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ कृष्णा अपार्टमेंट डी/203 मोवा जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती साजिदा बेगम w/o स्व. अब्दुल रसीद खान के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती रूबीना खान w/o मोहिद खान रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 28/1/22 — **जोन आयुक्त जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर, जोन क्र. 7
मंगलम काम्पलेक्स अग्रसेन चौक के पास रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 285/2021-2022
वार्ड का नाम- श. मनमोहन सिंह बक्शी-23

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श. मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड क्र. 23 स्थित मकान/ भूमि/ 23/डी-55 मारूति विहार जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती भावना नत्थानी पति अनिल नत्थानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती स्नेहा अग्रवाल पति अशोक कुमार अग्रवाल ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — **जोन कमिश्नर जोन क्र.-07 नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 454/2021-22
वार्ड का नाम- डा. राजेन्द्र प्रसाद-52

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डा. राजेन्द्र प्रसाद-52 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 52/ मारूति रेसीडेंसी के सामने जो कि निगम अभिलेख में श्री गिरिवर प्रसाद वर्मा s/o श्री हरिप्रसाद वर्मा के नाम से दर्ज है, जिसको श्री अमित अग्रवाल s/o किशोर अग्रवाल ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — **जोन कमिश्नर जोन क्र.-10 नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक 202201101000179
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2021-22
कुरूद प.ह.नं. 00050(हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - श्रीमती संध्या चौधरी,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

आवेदक-श्रीमती संध्या चौधरी पति नीरज कुमार पता- खुर्सीपार भिलाई द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.नं. 19 अ, रा.नि.मं. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 1603/107 रकबा 0.010 हे./ 1793 वर्गफीट भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर बैनामा दिनांक 31.12.2021 को विक्रेता श्रीमती मंजू शर्मा पिता रणजीत शर्मा निवासी भिलाई से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने बाबत आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.02.2022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21/01/2022 को जारी किया जाता हैं।

सील — **अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक 202201101000180
विषय-अ-27 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2021-22
जामुल प.ह.नं. 00018(हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - खेदिया बाई,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक खेदिया बाई पिता/पति स्व. जगनारायण सिंग पता- जामुल तह. व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम जामुल प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 786/5, 787/1, 787/2, 789/2 कुल रकबा 0.826 हे. भूमि में आवेदक व अनावेदकगण के नाम पर दर्ज है उक्त भूमि का खाता विभाजन किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में आवेदनमय दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर किसी भी व्यक्ति-संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 11/02/2022 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 24/01/2022 को जारी किया जाता हैं।

सील — **अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील, भिलाई नगर (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक 202111101000080
विषय-अ-74 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2021-22
ढोर प.ह.नं. 00017(हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - अनिल मेहता,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनिल मेहता पिता व्ही.एन. मेहता पता- ढौर द्वारा ग्राम ढौर प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.नं. 1228 रकबा 0.7900 भूमि को शासकीय भूमि ख.नं. 1218 रकबा 0.750 से अदला बदला किए जाने बाबत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति -संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 15.02.2022 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ज्ञापन मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27/01/2022 को जारी किया जाता हैं।

सील — **अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील, भिलाई नगर (छ.ग.)**

कार्यालय संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कालोनी बेलभाठा (अभनपुर) जिला-रायपुर में निर्मित अटल आवास योजनांतर्गत भवन क्र.-300 श्री हेमु प्रसाद सोनवानी पिता श्री लल्लू राम सोनवानी पता- ग्राम व पोस्ट कचना, भखारा, तहसील कुरूद जिला-धमतरी (छ.ग.) को स्व-वित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 23.10.2009 को लीजडीड पंजीकृत उपरांत दिनांक 23.07.2015 को हस्तांतरण विलेख (फ्री-होल्ड) निष्पादित करा लिया गया है। हस्तांतरण विलेख निष्पादन उपरांत उक्त भवन को क्रेता श्रीमती पार्वती ध्रुव पति स्व. श्री बाबूलाल ध्रुव पता- म.नं. 300, अटल आवास बेलभाठा, अभनपुर तहसील अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में दिनांक 18.05.2016 को विक्रय कर दिया गया है। वर्तमान में क्रेता श्रीमती पार्वती ध्रुव पति स्व. श्री बाबूलाल ध्रुव द्वारा उक्त भवन को फ्री-होल्ड पश्चात अपने नाम पर नामांतरण किए जाने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखंड/ भवन के नामांतरण करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कालोनी सेजबहार जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत एलआईजी भवन क्र.-490 श्रीमती बिन्दिया सोनवानी पति श्री जागेश्वर सोनवानी निवासी- एलआईजी-490 सेजबहार रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) के नाम पर भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 27.12.2011 को अपने पक्ष में सेलडीड पंजीकृत करा लिया गया है। तत्पश्चात आबंटी द्वारा उक्त भवन को विक्रय अनुमति क्र. 7234 दिनांक 18.06.2015 प्राप्त कर क्रेता श्रीमती निकहत परवीन पति हसनैन निवासी- इमाम बाड़ा राजातालाब, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) के नाम पर विक्रय विलेख दिनांक 22.06.2015 को निष्पादित कर दी गई है, प्राप्त दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन श्रीमनती निकहत परवीन पति हसनैन के नाम पर नामांतरण किए जाने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भवन के नामांतरण किए जाने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 318/21-22
वार्ड का नाम- रानी लक्ष्मीबाई-10

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई 10 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ कृष्णा अपार्टमेंट डी/02 मोवा I/D/R/571 जो कि निगम अभिलेख में श्री सैय्यद हबीब हुसैन रिजवी पिता स्व. सैय्यद मोहम्मद हुसैन रिजवी, सै. सैदा हुसैन रिजवी पिता सै. हबीब हुसैन रिजवी के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती नौशी रिजवी w/o सैय्यद सरताज हुसैन रिजवी रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 28/1/22 — **जोन आयुक्त जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2436320
email ID: eocghbzone2@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, थोक बाजार डुमरतराई रायपुर में स्थित दुकान क्र. बी-164 श्री कल्याण दास कुकरेजा पिता श्री दानुमल कुकरेजा के नाम पर इस कार्यालय का नाम दर्ज आदेश क्रमांक 3216 दिनांक 22.09.2021 द्वारा नाम दर्ज किया गया है। वर्तमान में नामांतरी द्वारा उक्त दुकान को क्रेतागण 1. श्री शंकरलाल इसरानी पिता स्व. श्री लालचंद इसरानी 2. श्री शोभित इसरानी पिता श्री शंकरलाल इसरानी दोनों निवासी- एच-54, आनंद विहार कालोनी, सेक्टर-02 आनंद नगर रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में दिनांक 13.01.2022 को विक्रय कर दिया गया है। वर्तमान में क्रेतागण 1. श्री शंकरलाल इसरानी पिता स्व. श्री लालचंद इसरानी 2. श्री शोभित इसरानी पिता श्री शंकरलाल इसरानी द्वारा उक्त दुकान को विक्रय विलेख पश्चात अपने संयुक्त नाम पर नाम दर्ज किए जाने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त दुकान के नाम दर्ज करने के संबंध में किसी व्यक्ति, शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-2, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 453/2021-22
वार्ड का नाम- डा. राजेन्द्र प्रसाद-52

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डा. राजेन्द्र प्रसाद-52 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 52/ वरण अपार्टमेंट जो कि निगम अभिलेख में श्री अनिल कुमार गादिया s/o मीठालाल गादिया के नाम से दर्ज है, जिसको कु. ज्ञानेश्वरी मुदलियार D/o विजय लक्ष्मी मुदलियार, कु. छबिलि मुदलियार D/o विजय लक्ष्मी मुदलियार ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — **जोन कमिश्नर जोन क्र.-10 नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)**

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर, जोन क्र. 7
मंगलम काम्पलेक्स अग्रसेन चौक के पास रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 283/2021-2022
वार्ड का नाम- स्वामी आत्मानंद-39

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्वामी आत्मानंद वार्ड क्र. 39 स्थित मकान/ भूमि/ 39/476 समता-103 जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती सुशीला बाई पति पुरूषोत्तम चाण्डक के नाम से दर्ज है, जिसको श्री पुरूषोत्तम दास महेश्वरी पिता स्व. मोतीलाल महेश्वरी ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — **जोन कमिश्नर जोन क्र.-07 नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर, जोन क्र. 7
मंगलम काम्पलेक्स अग्रसेन चौक के पास रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 284/2021-2022
वार्ड का नाम- श. मनमोहन सिंह बक्शी-23

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श. मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड क्र. 23 स्थित मकान/ भूमि/ 23/डी-54 मारूति विहार जो कि निगम अभिलेख में श्री गोवर्धन दास नत्थानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती स्नेहा अग्रवाल पति अशोक कुमार अग्रवाल ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — **जोन कमिश्नर जोन क्र.-07 नगर पालिक निगम, रायपुर**

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर
ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
Portal : http://eproc.cgstate.gov.in

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर में निम्नलिखित कार्य नवीन ई-पंजीयन में पंजीकृत ठेकेदार हेतु सरल क्र. 01 से 10 हेतु दिनांक 08.02.2022 एवं सरल क्र. 11 से 13 हेतु दिनांक 14.02.2022 तक निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	नि.आ.सू.क्र. / दिनांक	कार्य का नाम	लागत (लाख में)
1	223	हाईकोर्ट उपसंभाग क्र. 01 बिलासपुर अंतर्गत सकरी सैदा मार्ग के कि.मी. 1/2 से 5/10 = 5.00 कि.मी. एवं कोपरा सरसेनी मार्ग के कि.मी. 1/2 से 3/10 (100 मी.)= 2.90 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **संभाग क्र. 02 बिलासपुर। द्वितीय आमंत्रण**	93.12
2	224	हाईकोर्ट उपसंभाग क्र. 01 बिलासपुर अंतर्गत सकरी बटालियन पहुंच मार्ग के कि.मी. 1.10, वेलमुण्डी पहुंच मार्ग के कि.मी. 1/2 से 2/8 =1.80 कि.मी., तिफरा पहुंच मार्ग के लंबाई 1.00 कि.मी. एवं बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग से शुभम विहार ओम जोन महर्षि स्कूल मंगला पहुंच मार्ग लं. 2.60 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **संभाग क्र. 02 बिलासपुर। द्वितीय आमंत्रण**	99.01
3	225	उपसंभाग क्र. 03 बिलासपुर अंतर्गत तखतपुर बायपास मार्ग के कि.मी. 1/6 से 3/2 (50 मी.)= 1.65 कि.मी. एवं राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर में आंतरिक पहुंच मार्ग लं. 2.00 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **संभाग क्र. 02 बिलासपुर। द्वितीय आमंत्रण**	93.77
4	226	उपसंभाग कोटा अंतर्गत अजयपुर दर्रीकापा कपसियाकाला मार्ग के कि.मी. 1/2 से 3/10 = 3.00 कि.मी., शिवतराई मानपुर के कि.मी. 1/2 से 3/4 = 2.40 कि.मी. श्रीपारा नवागांव मार्ग 1/2 से 3/8 = 2.80 कि.मी., एवं बेलगहना बहेरामुड़ा मार्ग कि.मी. 1/6 से 4/8 (100 मी.) = 3.20 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **संभाग क्र. 02 बिलासपुर। द्वितीय आमंत्रण**	132.68
5	227	उपसंभाग क्र. 03 बिलासपुर अंतर्गत पोड़ी विजयपुर मार्ग के कि.मी. 1/2 से 3/10 = 3.00 कि.मी., निगारबंद पोड़ी मार्ग के कि.मी. 5/2 से 8/10 = 4.00 कि.मी. एवं पकरिया से कठमुड़ा मार्ग के कि.मी. 1/6 (50 मी.) से 2/6 (100 मी.) = 750 मीटर में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **संभाग क्र. 02 बिलासपुर। द्वितीय आमंत्रण**	109.58
6	228	जिला कोरबा में व्यवहार न्यायालय कटघोरा में 01 नग कोर्ट रूम का निर्माण कार्य। **कोरबा संभाग कोरबा। द्वितीय आमंत्रण**	27.04
7	229	उपसंभाग क्र. 01 कटघोरा अंतर्गत जेमरा से चैतुरगढ़ मार्ग के कि.मी. 1/2 से 5/10 = 5.00 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **मुंगेली संभाग मुंगेली। द्वितीय आमंत्रण**	73.02
8	230	मुंगेली उपसंभाग अंतर्गत मुंगेली नवागांव बैहाकापा छाता मार्ग के कि.मी. 1/2 से 3/8= 2.68 कि.मी. एवं सेतगंगा गोरखपुर परसवारा मार्ग के कि.मी. 2/4 से 5/2 = 3.00 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **मुंगेली संभाग मुंगेली। द्वितीय आमंत्रण**	122.14
9	231	मुंगेली उपसंभाग अंतर्गत रामबोड़ पहुंच मार्ग के कि.मी. 1/2 से 2/4 = 1.40 कि.मी. चोरभट्ठी पहुंच मार्ग कि.मी. 1/2 से 1/8= 0.80 कि.मी. एवं मोहभट्ठा धूमा बदरा मार्ग के कि.मी. 1 से 5/2 = 4.20 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **मुंगेली संभाग मुंगेली। द्वितीय आमंत्रण**	109.98
10	232	रायगढ़ संभाग अंतर्गत शिवपुरी से पाली मार्ग के कि.मी. 1/2 से 2/10 = 2.00 कि.मी. तिलगा से अडबहाल मार्ग के कि.मी. 1/2 से 6/2 = 5.20 कि.मी. एवं तेलगा केनसरा रूचिदा रावनखोंदरा मार्ग के कि.मी. 6 से 8= 3.00 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **रायगढ़ संभाग रायगढ़। द्वितीय आमंत्रण**	133.93
11	233	उपसंभाग जांजगीर अंतर्गत खोखसा पहुंच मार्ग के कि.मी. 1/2 से 2/4 = 1.30 कि.मी. जांजगीर पीथमपुर मार्ग 4/2=10, 5/2=4, 6/2-10, 7/8- 10, 8/2-10, 9/2=4.00 कि.मी, पहरिया गोवाबंद सत्तीगुड़ी मार्ग के कि.मी. 2/8 से 3/10 = 1.40 कि.मी. नैला जांजगीर मार्ग कि.मी. 2/8 से 3/10= 1.40 कि.मी. खोखरा पुटपुरा मार्ग कि.मी. 2/8 से 3/10 (100 मी.)2.10 कि.मी. एवं लछनपुर पहुंच मार्ग कि.मी. 1/2 से 1/8= 0.80 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **चांपा संभाग चांपा। प्रथम आमंत्रण**	165.21
12	234	उपसंभाग धरमजयगढ़ अंतर्गत बहियामुडा भेंड्रा मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. में बी.टी. नवीनकरण कार्य। **रायगढ़ संभाग रायगढ़। प्रथम आमंत्रण**	40.00
13	235	उपसंभाग सारंगढ़ अंतर्गत बोईरडीह देवगांव मार्ग के कि.मी. 1/2 से 3/10 लंबाई. 3.00 कि.मी. बी.टी. नवीनीकरण कार्य। **रायगढ़ संभाग रायगढ़। प्रथम आमंत्रण**	22.50

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते हैं।

अधीक्षण अभियंता
जी-67186/4 — लो.नि.वि. बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर

समस्त क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस
की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
जीतेन्द्र कुमार ध्रुव
पार्षद
वार्ड क्र.- 04

समस्त क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस
की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
पूनम बलजीत छाबड़ा
बलजीत छाबड़ा
पूर्व पार्षद
नगरी

समस्त क्षेत्रवासियों को
26 जनवरी गणतंत्र दिवस
की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं...
श्रीमती शशि ध्रुव
सरपंच
पारस साहू
उप सरपंच
मदन सेन
सचिव
ग्राम पंचायत साकरा
पंचगण - कृपाराम नाग, गजेन्द्र भंडारी, अनूसुईया बाई मरकाम,
रविन्द्र नाथ मरकाम, कार्तिक राम कश्यप, पिंकी मल्होत्रा,
देवबती साहू, बल्लू ठाकुर, रामबाई साहू, फूलेश्वरी साहू, जयश्री साहू,
फुलेश्वरी ध्रुव, हेमलाल ध्रुव, लता ध्रुव, नागेश्वरी साहू, रमेश साहू,
डिगेश्वर सिन्हा, कृति सोम, रूखमणी नाग
रोजगार सहायक - श्रीमति- रूपेश्वरी पटेल
आपरेटर - ईश्वर मतस्यपाल, भृत्य- रूपेश पटेल,
सुरेश श्रीमाली नलचालक मिलेन्द्र पटेल सफाई प्रेम लाल कोटवार

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
ग्राम पंचायत मेचका (सोढूर)
विमला ध्रुवा
सरपंच
परमात्मा कुंजाम
उप सरपंच
बी.आर कुलदीप
सचिव
पंचगण :- परमानंद मरकाम, भगवान मरकाम, राघन साय ध्रुर्वा,
शिव नेताम, प्रीतराम नेताम, ललीत सिंह ठाकुर, दुकालू राम नेताम,
पुनऊराम नेताम, मालती बाई मरकाम, श्रीमति पूजा नेताम,
कुंती प्रधान, फुलबासन ध्रुव, पोनेश्वरी साहू, पूर्णिमा नाग,
मीना मरई, उत्तरा बाई कुंजाम, लक्ष्मी बाई, सावली बाई,
टीकेश्वर नेताम (भृत्य) टीकेश (कोटवार)
समस्त ग्राम पंचायत मेचका सोढूर नगरी जिला- धमतरी छ.ग.

26 जनवरी 2022
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
ग्राम पंचायत खमरिया
श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव
सरपंच
पुणेन्द्र साहू
उप सरपंच
खिनजन भण्डारी
सचिव
धनंजय मरकाम
रोजगार सहायक
पंचगण :- श्रीमती जागेश्वरी साहू, चन्द्रकला ध्रुव, मानिक राम ध्रुव,
गोवर्धन साहू, मिश्रीलाल कश्यप, श्रीमती मिथला नेताम, बाबूलाल ग्वाल,
श्रीमती रेखा रात्रे, श्रीमती रेनू यादव, श्रीमती भानबाई नेताम,
अनुसूइया नाग, श्रीमती जामबाई निषाद एवं समस्त ग्रामवासी
ग्राम पंचायत खमरिया नगरी जिला - धमतरी (छ.ग.)

समस्त क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस
की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...
लखन दुर्गा
सांसद - सोशल मीडिया प्रतिनिधि

गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं
मास्क लगाए, निरंतर हाथ धोते रहे, दो गज दूरी मास्क है जरूरी
विनीत- अंबिका सिंहदेव, संसदीय सचिव/विधायक बैकुंठपुर

गणतंत्र दिवस
Republic Day
की हार्दिक शुभकामनाएं
मनोज कुमार सिंह
अध्यक्ष
संजीव साव (गुड्डा)
सचिव
कृष्ण जीवन शुक्ला
उपाध्यक्ष
आकाश गोयल (विक्कू)
उपाध्यक्ष
संतोष दुबे
कोषाध्यक्ष
मनोज कुमार जैन
सहसचिव
तिलक साहू (सोनू)
सहसचिव
विनीत- बैलाडीला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन परिवार, किरन्दुल/बचेली